

राजभाषा खण्ड, (विधायी विभाग)
Official Languages Wing, (Ministry of Law & Justice)

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law & Justice

संशोधन खण्ड
Correction Section

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS



विधिक दस्तावेजों

के

मानक प्ररूप

Standard Forms

OF

Legal Documents

जिल्द I

Vol. I

1983

राजभाषा खण्ड

OFFICIAL LANGUAGES WING

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनेक ऐसी कानूनी दस्तावेजों का प्रयोग हो रहा है जो अंग्रेजी भाषा में हैं। इस प्रकार दस्तावेजों में करार, सविदा, पट्टे, बंधपत्र, बंधक-पत्र, निविदा, आदि सम्मिलित हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसी दस्तावेजों का हिन्दी भाषा में भी हो। राजभाषा अधिनियम, 1963 की अपेक्षाओं का अनुपालन हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इन दस्तावेजों का हिन्दी में मानक प्ररूप तैयार किया जाए। यह कार्य वर्ष 1975-76 के कार्यक्रम में सम्मिलित है। तदनुसार इस प्रकार की पच्चीस दस्तावेजों के हिन्दी में मानक प्ररूप तैयार किए गए हैं और उनके अंग्रेजी पाठ के साथ उनका संकलन इस पुस्तक में किया गया है।

यह संकलन अभी सम्पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार के अन्य हिन्दी मानक प्ररूप बाद में प्रकाशित किए जाएंगे।

आशा है यह संकलन सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है। कृपया इस पते पर पत्र-व्यवहार करें :—

संयुक्त सचिव और प्रारूपकार,
राजभाषा खण्ड,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
भगवान दास मार्ग,
नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली;
1 जून, 1978

एस० हरिहर अय्यर,
सचिव,
विधायी विभाग।

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

विविध दस्तावेजों के मानक प्ररूप नामक संकलन की पहली जिल्द के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जून, 1978 में किया गया था। इसका अच्छा स्वागत हुआ और इसकी सभी प्रतियाँ वितरित हो गईं। संकलन के इस संस्करण में मुद्रण की गलतियों को ठीक कर दिया गया है और विद्वान प्रयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सुधार कर दिया गया है।

इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है। कृपया इस पते पर पत्र-व्यवहार करें :—

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
भगवान दास मार्ग,
नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली;
28 सितम्बर, 1983

र० बंकेट सूर्य पेरिसास्त्री,
सचिव,
विधायी विभाग।

विषय सूची

I. करार

| | पृष्ठ संख्या |
|---|--------------|
| 1. मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम लेने के पूर्व किया जाने वाला करार—I (प्ररूप सां वि० नि० 22) | 1 |
| 2. मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम लेने के पूर्व किया जाने वाला करार—II (प्ररूप सां वि० नि० 23) | 2 |
| 3. केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/प्रशासन/विभाग के प्रधान तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन उपक्रम/संगठन/निगम के बीच उस उपक्रम आदि के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार में उसकी प्रतिनियुक्ति के दौरान, मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल, आदि खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के समय निष्पादित किया जाने वाला प्ररूप (प्ररूप सां वि० नि० 23-क) | 4 |
| 4. सरकार द्वारा नियुक्त समितियों और आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों को दिए गए याता भत्ता के अग्रिम के समायोजन या लौटाए जाने के लिए करार (प्ररूप सां वि० नि० 29) | 6 |
| 5. केन्द्रीय सरकार के सेवकों को आवंटित भूमि पर मकान बनाने के लिए अग्रिम की प्रथम किस्त लेने के पूर्व उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्ररूप | 7 |
| 6. पुस्तक के मूल लेखन के लिए करार | 10 |
| 7. पुस्तक के अनुवाद के लिए करार | 14 |
| 8. पुस्तक के अनुवाद और प्रकाशन की अनुज्ञप्ति के लिए करार | 17 |
| 9. जौन संविदा के लिए करार (पूर्वोत्तर सीमा रेल) | 20 |

II. बंधपत्र/वचनबंध

| | |
|--|----|
| 1. प्रतिभू-बंधपत्र का प्ररूप—I (प्ररूप सां वि० नि० 21) | 22 |
| 2. प्रतिभू-बंधपत्र का प्ररूप—II (प्ररूप सां वि० नि० 28) | 24 |
| 3. नकद प्रतिभूति बंधपत्र का प्ररूप (प्ररूप सां वि० नि० 30) | 25 |
| 4. प्रतिभूति बंधपत्र का प्ररूप (प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त विश्वस्तता बंधपत्र) (प्ररूप सां वि० नि० 31) | 28 |
| 5. लिखित वचनबंध का प्ररूप (प्ररूप सां वि० नि० 32) | 30 |
| 6. मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्र का प्ररूप—प्रारंभिक अग्रिम (प्ररूप सां वि० नि० 24) | 32 |
| 7. मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्र का प्ररूप—अतिरिक्त अग्रिम (प्ररूप सां वि० नि० 25) | 34 |
| 8. मोटर गाड़ी खरीदने के लिए सरकार द्वारा पहले मंजूर किए गए समस्त अग्रिम और उस पर व्याज को लौटाए बिना, पुरानी मोटर गाड़ी बेचने से प्राप्त रकम से खरीदी गई मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्र का प्ररूप (प्ररूप सां वि० नि० 25-क) | 36 |

III. पट्टा

| | |
|------------------|----|
| 1. पट्टे का करार | 39 |
| 2. शाश्वत पट्टा | 44 |
| 3. अस्थायी पट्टा | 48 |

IV. निविदा के लिए आमंत्रण-पत्र

| | |
|--|----|
| V. विश्वस्तता प्रत्याभूति पालिसी (प्ररूप सां वि० नि० 34) | 51 |
| | 56 |

VI. प्रकीर्ण

| | |
|---|----|
| 1. बीमा कम्पनी को, मोटर गाड़ियों आदि की बीमा पालिसियों में सरकार के हित की सूचना देने वाला पत्र (प्ररूप सां वि० नि० 26) | 59 |
| 2. कार्यभार के अन्तर्गता का प्रमाणपत्र (प्ररूप सां वि० नि० 33) | 60 |
| 3. ट्रेल पंखा खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप (प्ररूप सां वि० नि० 27-क) | 61 |

मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अधिम लेने के पूर्व किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में
(जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रति-
निधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और इसके
अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हैं) के बीच आज तारीख.....
को किया गया ।

उधार लेने वाले ने मोटर गाड़ी खरीदने के लिए साधारण वित्तीय नियम, 1963 के (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम"
कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उस नियम के उस समय प्रवृत्त संशोधन भी हैं) उपबंधों के अधीन.....
(.....रूपए) उधार दिए जाने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है और राष्ट्रपति
उधार लेने वाले को उक्त रकम आगे दिए गए निबंधनों और शर्तों पर उधार देने के लिए सहमत हो गए हैं ।

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाला राष्ट्रपति द्वारा उसे दी जाने वाली....
.....रूपए) को रकम के प्रतिकूलस्वरूप राष्ट्रपति के साथ यह करार
करता है कि वह (1) राष्ट्रपति को उक्त रकम का तथा उस पर उक्त नियम के अनुसार लगाए गए ब्याज का संदाय
अपने वेतन में से प्रति मास कटौती कराके करेगा, जैसा कि उक्त नियम में उपबंधित है, और ऐसी कटौतियां करने
के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है, और (2) उक्त रकम दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उक्त
उधार की पूरी रकम मोटर गाड़ी खरीदने में लगाएगा या यदि उसके द्वारा दी गई वास्तविक कीमत उधार की रकम
से कम है तो शेष रकम राष्ट्रपति को तुरन्त लौटा देगा, और (3) उधार लेने वाले को पूर्वोक्त उधार की रकम
और ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर गाड़ी को राष्ट्रपति के पक्ष में जाडमान (गिरवी) रखने के लिए
उक्त नियम द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा । यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती
है कि यदि उक्त रकम दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर मोटर गाड़ी खरीदी और जाडमान रखी नहीं जाती
है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सरकारी नौकरी छोड़ देता है या उसकी
मृत्यु हो जाती है तो उधार की पूरी रकम और उस पर ब्याज तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधक करने वाले/उधार लेने वाले ने तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
.....मंत्रालय/कार्यालय के श्री.....ने इस पर अपने-अपने
हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

उक्त.....(उधार लेने वाले का नाम)

.....(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1).....

पदनाम.....

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

कार्यालय.....

(2).....

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री.....(अधिकारी का नाम और पदनाम)

ने

(1).....

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

.....(अधिकारी के हस्ताक्षर)

(2).....

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

पदनाम.....

कार्यालय.....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

प्ररूप सा० वि० नि० 23

(नियम 207 बेलिए)

मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम लेने के पूर्व किए जान वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में.....
(जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशी भी हैं) के बीच आज तारीख..... को किया गया।

उधार लेने वाले ने इसमें नीचे लिखी अनुसूची में वर्णित मोटर गाड़ी (जिसे इसमें आगे "उक्त मोटर गाड़ी" कहा गया है) खरीद ली है/खरीदने के लिए करार किया है। उधार लेने वाले ने मोटर गाड़ी खरीदने के लिए साधारण वित्तीय नियम के (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है जिसके अन्तर्गत उस नियम के उस समय प्रवृत्त संशोधन भी हैं) उपबंधों के अधीन..... रु० (.....रुपए) उधार दिए जाने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है और राष्ट्रपति उधार लेने वाले को इसमें आगे दिए गए निबंधनों और शर्तों पर उक्त रकम उधार देने के लिए सहमत हो गए हैं।

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाला राष्ट्रपति द्वारा उसे दी जाने वाली..... रु० (.....रुपए) की रकम के प्रतिफलस्वरूप राष्ट्रपति के साथ यह करार करता है कि वह (1) राष्ट्रपति को उक्त रकम का तथा उस पर उक्त नियम के अनुसार लगाए गए ब्याज का संदाय अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती कराके करेगा जैसा कि उक्त नियम में उपबंधित है, और ऐसी कटौतियाँ करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है, और (2) उधार लेने वाले को उक्त रकम दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उक्त उधार की पूरी रकम उक्त मोटर गाड़ी खरीदने के लिए किसी प्राइवेट पक्षकार/.....(बैंक) से उसके द्वारा प्राप्त किए गए उधार को लौटाने में लगाएगा या यदि उसके द्वारा दी गई वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है तो शेष रकम राष्ट्रपति को तुरंत लौटा देगा, और (3) उधार लेने वाले को पूर्वोक्त उधार की रकम और ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर गाड़ी को राष्ट्रपति के पक्ष में आडमान (गिरवी) रखने के लिए उक्त नियम द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तवेज का निष्पादन करेगा। यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि उधार लेने वाले को उक्त रकम दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर मोटर गाड़ी पूर्वोक्त रूप में खरीदी और आडमान रखी नहीं जाती है या यदि उधार लेने वाला उसे उक्त रकम दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर उस उधार की रकम को लौटाने में असफल रहता है जो उसने उक्त मोटर गाड़ी खरीदने के स्पष्ट प्रयोजन के लिए किसी प्राइवेट पक्षकार/.....(बैंक) से प्राप्त की है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उधार की पूरी रकम और उस पर लगाया गया ब्याज तुरंत श्रेष्ठ और संदेय हो जाएगा।

अनुसूची

मोटर गाड़ी का वर्णन
गाड़ी का नाम
वर्णन
सिलेंडरों की संख्या
इंजन सं०
चैकिस सं०
लागत

the

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....
मंत्रालय/कार्यालय के श्री.....ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त.....(उधार लेने वाले का नाम और पदनाम)

ने

.....
(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1)

पदनाम

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

कार्यालय

of

(2)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

.....(अधिकारी का नाम और पदनाम)

म

.....
(अधिकारी के हस्ताक्षर)

(1)

पदनाम

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

कार्यालय

(2)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

the

प्ररूप सा० वि० नि० 23-क

(नियम 192-क देखिए)

केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/प्रशासक/विभाग के प्रधान तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन उपक्रम/संगठन/नियम के बीच उस उपक्रम आदि के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार में उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल आदि खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप

एक पक्षकार के रूप में जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913/ कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निमित्त कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है / जो (..... का अधिनियम सं०) द्वारा और उसके अधीन उसी नाम और अभिनाम से निर्मित तिकाय है और जिसका कार्यालय में है/जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है और जिसका कार्यालय में है (जिसे इसमें आगे "कंपनी/निगम/सोसाइटी" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनु-देक्षिणी भी हैं) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है, और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेक्षिणी भी हैं) के बीच तारीख को किए गए करार का शापन;

श्री जो का पृष्ठ है और का निवासी है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला अधिकारी" कहा गया है) उस कंपनी/निगम/सोसाइटी में स्थायी पद धारण करता है ;

उक्त उधार लेने वाला अधिकारी तारीख से केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त है और यह संभावना है कि वह इसमें आगे उल्लिखित उधार की प्राप्ति की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त रहेगा;

उधार लेने वाले अधिकारी ने साधारण वित्तीय नियम, 1963 के (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है जिसके अंतर्गत उस समय प्रवृत्त उसका संशोधन भी है) उपबंधों के अधीन मोटर गाड़ी खरीदने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है ;

राष्ट्रपति उधार लेने वाले अधिकारी को उक्त नियम में दिए गए निबंधनों और शर्तों पर रु० की उक्त रकम उधार देने के लिए सहमत हो गए हैं ;

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उधार दी गई रु० (केवल रुपए) की रकम के प्रति-फलस्वरूप जो उक्त नियम के अनुसार लगाए गए व्याज सहित उधार लेने वाले अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को लौटाई जानी है, कंपनी/निगम/सोसाइटी राष्ट्रपति के साथ करार करती है कि यदि उधार लेने वाला अधिकारी के पद से, जिसे वह केन्द्रीय सरकार के अधीन इस करार की तारीख को धारण करता है, उक्त उधार की पूरी रकम उस पर व्याज सहित लौटा दिए जाने के पहले अपने मूल पद पर वापस आ जाता है तो कंपनी/निगम/सोसाइटी उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए व्याज सहित वकाया रकम मूल रूप से नियत किस्तों में, उस लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी को; जिसके अभिलेखों में उक्त उधार मूल रूप में दर्ज है, उधार लेने वाले अधिकारी को बताने और भत्ता दिए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर चेक या किसी अनुसूचित बैंक के ताम मांग देय ड्राफ्ट द्वारा भेजेगा ।

11
5

इसके साथस्वरूप बंधक करने वाले/उधार देने वाले ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....
मंत्रालय/कार्यालय के श्री ने इस पर अपने-
पने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

..... कंपनी/निगम/सोसाइटी के लिए और उसकी ओर से

..... (नाम और पदनाम)

..... (हस्ताक्षर)

ने

(1)

(2)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

.....
(अधिकारी के हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से अधिकारी का

पदनाम

श्री (नाम और पदनाम)

कार्यालय

ने

(1)

(2)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप सा० वि० नि० 29

[नियम 268(1) देखिए]

सरकार द्वारा नियुक्त समितियों और आयोगों के गैर-सरकारी सदस्यों को दिए गए यात्रा भत्ते के अग्रिम के समायोजन या लौटाए जाने के लिए करार का प्ररूप

मैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति/आयोग का सदस्य हूँ। मुझे ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में कतिपय यात्राएं करने के लिए भारत के राष्ट्रपति रु० (शब्दों में) की रकम अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई है। मैं यह करार करता हूँ कि वह रकम विनिश्चित यात्राओं के पूरा होने के तुरंत पश्चात् मेरे यात्रा भत्ता बिल में समायोजित की जाएगी और मैं उस अग्रिम का वह भाग जो इस प्रकार समायोजित नहीं किया गया है राष्ट्रपति को तुरंत लौटा दूंगा। यदि मैं विनिश्चित यात्राएं किसी कारण से नहीं करता हूँ तो मैं करार करता हूँ कि मांग की जाने पर अग्रिम को सम्पूर्ण राशि भारत के राष्ट्रपति को तुरंत लौटा दूंगा।

(राजस्व स्टाम्प)

सदस्य के हस्ताक्षर।

केंद्रीय सरकार के सेवकों को अबंठित भूमि पर मकान बनाने के लिए अधिम की प्रथम किस्त लेने के पूर्व उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में जो का पुत्र है और जो इस समय के रूप में काम कर रहा है और जो में निवास करता है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है), दूसरे पक्षकार के रूप में जो का पुत्र है, और जो इस समय के रूप में काम कर रहा है और जो में निवास करता है (जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है) और तीसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख को किया गया है।

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है) के बीच तारीख को किए गए करार द्वारा सरकार ने उधार लेने वाले को उक्त करार के निबन्धनों और शर्तों पर उस भूमि का कब्जा लेने की अनुमति दे दी है जिसका विस्तृत वर्णन उक्त करार की अनुसूची में और इस करार की अनुसूची में किया गया है।

उक्त करार के अनुसार उधार लेने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भूमि की कीमत का संदाय से प्रारम्भ होने वाली सात वार्षिक किस्तों में करे। उधार लेने वाले ने उनमें से किस्तें दे दी हैं।

उधार लेने वाले ने इस प्रयोजन के लिए कि वह भूमि की कीमत का संदाय कर सके और उक्त भूमि पर मकान बना सके रु० (केवल रुपए) के अधिम के लिए सरकार को आवेदन किया है।

सरकार, उधार लेने वाले को रु० (केवल रुपए) की रकम का अधिम देने के लिए सहमत हो गई है। इस संबंध में मंत्रालय/कार्यालय का तारीख का पत्र/कार्यालय आपन सं० देखिए जिसकी एक प्रति इस विलेख से संलग्न है। सरकार यह अधिम उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए और उन निबन्धनों और शर्तों पर देने के लिए सहमत हुई है जो उक्त पत्र/कार्यालय आपन में उल्लिखित है, जिसकी एक प्रति इससे संलग्न है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि :-

1. सरकार, उधार लेने वाले को इस करार के निष्पादन के पश्चात् (यहां पहली किस्त लिखिए) रुपए देगी और शेष रकम उसे उस रीति से देगी जिसका उपबंध मकानों को बनाने आदि के लिए केंद्रीय सरकार के सेवकों को अधिम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में किया गया है (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, इसके अन्तर्गत उस समय प्रवृत्त उसका संशोधन या परिवर्धन भी है)। उक्त दोनों रकमों के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला और प्रतिभू, सरकार के साथ निम्नलिखित करार करते हैं:-

(क) उधार लेने वाला अपने वेतन में से सरकार को रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) की रकम उक्त नियमों के अनुसार उस पर लगाए गए व्याज सहित, उन्नीस सौ के मास से या मकान पूरा बन जाने के अगले मास से, जो भी पहले हो उससे, प्रारंभ होने वाली रुपए की (यहां संख्या लिखिए) मासिक किस्तों में लौटाएगा। वह अपनी सेवानिवृत्ति के समय बाकी रकम, जिसका संदाय न किया गया हो, अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान में से लौटाएगा। उधार लेने वाला सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह (सरकार) उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और जीवन-निर्वाह भत्ते के बिलों में से और उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान में से ऐसी कटौतियां कर ले।

(ख) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम उस रकम से कम है जो उधार लेने वाले को प्राप्त हुई है तो उधार लेने वाला शेष रकम सरकार को तुरन्त लौटा देगा।

(ग) उधार लेने वाला भूमि की पूरी कीमत का संदाय उस समय के भीतर और उस रीति से करेगा जिसका उपबंध तारीख के करार में किया गया है, परन्तु उक्त करार में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी उधार लेने वाला पूरी कीमत का संदाय हर सूरत में अधिव्ययिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व करेगा।

(घ) अंतरण विलेख का निष्पादन और उसका रजिस्ट्रीकरण होते ही उधार लेने वाला उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 4 में एक दस्तावेज का निष्पादन करेगा। इस दस्तावेज के द्वारा वह उसे (उधार लेने वाले को) अग्रिम के रूप में दी गई रकम और उस रकम पर संदेय व्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त भूमि और उस पर बना या बनाया जाने वाला मकान सरकार को बन्धक कर देगा।

(ङ) उधार लेने वाला पहली किस्त प्राप्त करने की तारीख से अठारह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाए उक्त मकान को बिलकुल उस अनुमोदित प्लान और विनिर्देश के अनुसार बनवाने का काम पूरा कर लेगा जिसके आधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की गई है और वह मंजूर की गई है और वह उस भूमि की बाबत आवश्यक अन्तरण विलेख प्राप्त करेगा जिस पर, उसकी पूरी कीमत का संदाय करने के बाद, मकान बनाया जाता है।

(च) यदि प्रतिभू उधार के संदाय से पूर्व या इस करार के उपबंधों के अधीन उन्मोचित किए जाने से पूर्व किसी भी कारण से सरकारी सेवा में नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है, तो उधार लेने वाला उसके बाद एक पखवाड़े के भीतर नया प्रतिभू देगा जो सरकार द्वारा अनुमोदित प्ररूप में सरकार के साथ तुरन्त करार करेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस समय देय पूरी रकम एक ही बार में संदेय हो जाएगी और यदि और कोई किस्तें दी जानी बाकी हैं तो उन सभी का संदाय निलम्बित रहेगा और रद्द किया जा सकेगा।

2. प्रतिभू सरकार के साथ यह प्रसंविदा करता है कि यदि उधार लेने वाला इस करार के उपबंध के अनुसार भूमि की पूरी कीमत का संदाय करने में और भूमि का अन्तरण-विलेख प्राप्त करने में या उक्त मकान का निर्माण पूरा करने में या बन्धक-विलेख का निष्पादन करने में असफल रहता है या उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या किसी भी कारण से सरकारी सेवा में नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय देय उधार की रकम और उस पर लगाया गया व्याज सरकार को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगा और वह प्रतिभू से वसूल किया जा सकेगा। प्रतिभू सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और जीवन-निर्वाह मत्त के बिलों से ऐसी किस्तों में जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं उसे वसूल कर ले तथा उसकी सेवा-निवृत्ति या सेवा-निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु के समय शेष रकम की, जिसका संदाय न किया गया हो, उसके मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान में से जो उसे मंजूर किया जाए, वसूल कर ले।

3. प्रतिभू सरकार के साथ यह प्रसंविदा भी करता है कि—

(i) वह केन्द्रीय सरकार का एक स्थायी सेवक है,

(ii) उसके मकान बनाने के लिए या कोई अन्य उधार नहीं लिया है और न वह किसी अन्य व्यक्तित्व का प्रतिभू बना है और यह कि जब तक यह उधार लौटा नहीं दिया जाता या उसे इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है तब तक वह अपने लिए किसी उधार के लिए आवेदन नहीं करेगा और न वह किसी अन्य व्यक्तित्व के लिए प्रतिभू बनेगा, और

(iii) सरकार को इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह प्रतिभू की सहमति से या उसकी जानकारी में अथवा उसके बिना, इस करार के किसी निबन्ध में परिवर्तन करे या समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाए या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करे जिसका प्रयोग सरकार उधार लेने वाले के विरुद्ध कर सकती है तथा इस करार से संबंधित किसी निबन्धन या शर्त को लागू करे या उससे प्रविरत रहे। किंतु इस करार के अधीन प्रतिभू की बाध्यता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी परिवर्तन या सरकार द्वारा उधार लेने वाले के प्रति किसी उदारता के कारण या ऐसे किसी विषय या बात से प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जो यदि वह उपबंध न होता तो प्रतिभू से संबंधित विधि के अधीन प्रतिभू को अपने दायित्व से मुक्त कर देती।

4. प्रतिभू का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक उक्त भूमि और उस पर बनाए जाने वाले मकान सरकार को बंधक रहते हैं या जब तक कि अग्रिम और उस पर देय व्याज की रकम सरकार को लौटा नहीं दी जाती है, जो भी पहले हो।

ies
to

5. उस निमित्त सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना यदि कोई रकम उधार लेने वाले या प्रतिभू द्वारा सरकार को प्रतिबंधित या संदेय हो जाती है तो सरकार उस रकम को भूराजस्व की वकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी।

6. इस विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है*

(यहां भूमि का वर्णन लिखिए)

ds

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले और प्रतिभू ने तथा भारत के राष्ट्रपति की ओर से _____
मंत्रालय/कार्यालय के श्री _____ ने इस
पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उधार लेने वाले ने

r)

(1) _____ (साक्षी का नाम, पता और
व्यवसाय) _____
_____ (साक्षी के हस्ताक्षर) (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

y)

(2) _____ (साक्षी का नाम, पता और
व्यवसाय) _____
_____ (साक्षी के हस्ताक्षर) प्रतिभू का नाम _____
पदनाम _____
मंत्रालय/कार्यालय _____

le
le

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से _____
मंत्रालय/कार्यालय के श्री _____ ने [(राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर करने
वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)]

...
...
1)

(1) _____ (साक्षी का नाम, पता और
व्यवसाय)
_____ (साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) _____ (साक्षी का नाम, पता और
व्यवसाय)
_____ (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

* उधार लेने वाले द्वारा भरा जाए।

पुस्तक के मूल लेखन के लिए करार

करार का ज्ञापन

एक पक्षकार के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी जो
..... का/की/पुत्र/पत्नी/पुत्री है और
(नाम) (स्थान का नाम)
का/की निवासी है (जिसे इसमें आगे 'लेखक' कहा गया है और इसके अंतर्गत जहाँ संदर्भ के अनुकूल है, उसके बारिस, निष्पादक,
प्रकाशक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के शिक्षा
मंत्रालय में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे
'प्रकाशक' कहा गया है और इसके अंतर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशी भी हैं) के बीच
आज तारीख को किए गए करार का ज्ञापन ।

लेखक ने सिधी भाषा में नामक पुस्तक (जिसे इसमें आगे उक्त पुस्तक कहा गया
है) लिखने का वचनबंध किया है और वह उस पुस्तक को इसमें आगे दिए हुए निबंधनों और शर्तों पर और प्रतिफल के लिए,
प्रकाशक से प्रकाशित कराना चाहता है ।

अब: पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. लेखक इसमें आगे तय पाए गए निबंधनों और शर्तों पर लेखन कार्य करेगा और उसे पूरा करेगा और वह उक्त पुस्तक की सभी प्रकार से पूर्ण पाण्डुलिपि इसमें आगे उल्लिखित समय के भीतर प्रकाशक को सौंप देगा ।
2. लेखक उक्त पुस्तक में, जहाँ कहीं उपलब्ध हो, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करेगा । उक्त पुस्तक की भाषा यथासंभव स्वाभाविक और सरल होगी तथा उसकी शैली विषय के अनुरूप होगी ।
3. लेखक उक्त पुस्तक को प्रकाशक की अपेक्षानुसार उसमें उपयुक्त तस्वीरें, नक्शे, रेखाचित्र, ग्राफ और अन्य चित्र देकर सज्जित बनवाएगा । यह काम वह प्रकाशक द्वारा अनुमोदित वर्तमान बाजार दरों पर करेगा । लेखक पाण्डुलिपि के साथ सिधी-अंग्रेजी शब्दावली, अनुक्रमणिका तथा प्रकाशक के निदेशानुसार अन्य परिशिष्ट लगाएगा ।
4. यदि लेखक अपेक्षा करता है और सुसंगत निदेश पुस्तकें उपलब्ध हैं तो प्रकाशक लेखक को वे पुस्तकें उधार देगा ।
5. लेखक, प्रकाशक द्वारा कार्य सौंपे जाने की सूचना की तारीख से दिन के भीतर पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप पूरा करेगा ।
6. पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप तैयार होते ही लेखक उसकी एक प्रति प्रकाशक को और विधीक्षा के लिए दो प्रतियां प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा । प्रकाशक का विनिश्चय अंतिम और लेखक पर आवद्धकर होगा तथा प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट सुझावों और निदेशों को लेखक तुरन्त कार्यान्वित करेगा ।
7. लेखक उक्त पुस्तक की अंतिम पाण्डुलिपि, इन विनिश्चयों, सुझावों और निदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा जो प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने इन निमित्त दिए हैं । सभी प्रकार से पूर्ण उक्त पुस्तक जिसमें तस्वीरें, नक्शे, रेखाचित्र, ग्राफ और अन्य चित्र भी हों, प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के नमूने वाली प्रति पर दिए गए सुझावों और निदेशों की सूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रकाशक को मुद्रण और प्रकाशन के लिए भेज दी जाएगी ।
8. प्रकाशक उक्त पुस्तक के प्रूफ कागज, "खण्ड 7" में यथाउपबंधित सम्पूर्ण कृति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर लेखक को भेज देगा । लेखक उन प्रूफ कागजों को उसकी भेजे जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उनका पुनरीक्षण करके उन्हें ठीक करेगा । इस काम के लिए लेखक को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा । पुनरीक्षित प्रूफ मिलने के 90 दिन के भीतर प्रकाशक उक्त पुस्तक को प्रकाशित कराएगा ।
9. उक्त पुस्तक के प्रकाशित होने पर लेखक को उसकी अधिक से अधिक दस उद्धार प्रतियां प्राप्त करने का हक होगा ।

10. प्रकाशक, लेखक को नीचे लिखी दरों पर पारिश्रमिक का संदाय करेगा :—

(क) मूल पुस्तक लिखने के लिए :

तीन सौ शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 10 रु० (केवल दस रुपए) से 12 रु० (केवल बारह रुपए) तक ।

(ख) सिधो-अंग्रेजी शब्दावली और पाण्डुलिपि के परिशिष्ट के संकलन के लिए :

प्रति तीन सौ शब्द के लिए 3 रु० (केवल तीन रुपए) ।

(ग) विषय सूची तैयार करने के लिए :

प्रति मुद्रित पृष्ठ के लिए 1 रु० (केवल एक रुपया) ।

(घ) टाइप कराने का खर्च :

पहली प्रति के लिए, 300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 0.75 रुपए (पचहत्तर पैसे) तथा दूसरी और उसके बाद की प्रतियों के लिए 300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 0.12 रुपए (बारह पैसे) ।

(ङ) प्रकाशक कला कार्य और रेखा चित्रों के लिए संदाय वर्तमान बाजार दरों पर तय करेगा ।

11. पारिश्रमिक का संदाय इस प्रकार किया जाएगा : कुल संदेय पारिश्रमिक का 90 प्रतिशत भाग तब दिया जाएगा जब लेखक "खंड 7" में यथा उपबंधित अंतिम पाण्डुलिपि भेज देगा तथा बाकी 10 प्रतिशत तब दिया जाएगा जब लेखक "खंड 8" में यथाउपबंधित प्रूफ-शोधन का कार्य पूरा कर लेगा ।

12. उक्त पुस्तक के लिखने में लेखक देवनागरी लिपि या अरबी लिपि का प्रयोग कर सकता है । प्रकाशक उक्त पुस्तक को देवनागरी लिपि या अरबी लिपि या दोनों ही लिपियों में प्रकाशित करने का अधिकार आरक्षित रखता है ।

13. ऊपर बताए गए अनुसार किए जाने वाले संदायों के प्रतिफलस्वरूप, उक्त पुस्तक की पाण्डुलिपि में तथा चित्रों, फोटो, रेखाचित्रों, नक्शों और पाण्डुलिपि को तैयार करने के लिए उपयोग में लाई गई अन्य सामग्री में भी स्वामित्व और पूरा प्रतिलिप्यधिकार (कापी राइट) प्रकाशक में निहित होगा । प्रकाशक उक्त पुस्तक में पूर्ण प्रतिलिप्यधिकार (कापी राइट) का उपभोग करेगा और उसे विश्व के किसी भाग में उक्त पुस्तक के प्रकाशन, उत्पादन, पुनर्स्थापन, अनुलेखन और उक्त पुस्तक या उसके किसी भाग का किसी भी भाषा में अनुवाद करने या संश्लेष तैयार करने का एकमात्र और अन्य अधिकार होगा । उक्त पुस्तक के उत्पादन, प्रकाशन, प्रचार और विक्रय का सम्पूर्ण अधिकार प्रकाशक में निहित होगा । लेखक उक्त पुस्तक को सदैव गोपनीय मानेगा और उसका अथवा उसके संबंध में किसी अधिकार का, जिसमें उसका या उसके किसी भाग या भागों के अनुलेखन का अधिकार भी है, विक्रय नहीं करेगा ।

14. लेखक, प्रकाशक को यह वारंटी देता है कि उक्त पुस्तक उसकी मूल कृति है और उससे किसी भी विद्यमान प्रतिलिप्यधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, उसमें कोई आपत्तिजनक, अवलील या अपमान लेखीय सामग्री नहीं है तथा उसमें के जिन कथनों का तथ्य होना तात्पर्य है वे सभी कथन सही हैं और लेखक को यह करार करने की पूरी शक्ति है तथा वह (लेखक) प्रकाशक को होने वाली हानि, क्षति या नुकसान के लिए, जिसके अन्वय में इस वारंटी के किसी भाग के परिणामस्वरूप प्रकाशक द्वारा किए गए विधिक व्यय या खर्च भी है, प्रकाशक की क्षतिपूर्ति करेगा । लेखक यह वारंटी भी देता है कि उसने इस करार में समाविष्ट उक्त पुस्तक में किसी अधिकार की बाबत न तो कोई समनु-देशन किया है और न कोई अनुज्ञाप्ति दी है ।

15. यदि उक्त पुस्तक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के दस वर्ष के भीतर उस पुस्तक की प्रतियां बिकती नहीं हैं, तो प्रकाशक उक्त पुस्तक की उन सभी प्रतियों का व्ययन ऐसी रीति से कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

16. यदि पांच वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उक्त पुस्तक की बिना विक्री प्रतियों की संख्या एक सौ या उससे कम है तो प्रकाशक को यह हक होगा कि वह लेखक से यह कहे कि वह (लेखक) उक्त पुस्तक का पुनरीक्षण, संशोधन या परिचर्चन करे जिससे कि उसमें विषय से संबंधित नवीनतम और अद्यतन ज्ञान हो और वह पाठक के लिए अधिक उपयोगी तथा प्रकाशक के लिए अधिक लाभकारी हो । लेखक सभी आवश्यक परिवर्तन प्रकाशक द्वारा विहित समय के भीतर करेगा । प्रकाशक ऐसे पुनरीक्षण के लिए लेखक को, ऊपर "खण्ड 10" में नियत आधार पर संदाय करेगा । किन्तु "खण्ड 10(क) और (ख)" के अधीन संदेय वैयक्तिक पारिश्रमिक उक्त पुस्तक के लिए उक्त "खंड 10 (क) और (ख)" के अधीन उसको (लेखक को) संदेय वैयक्तिक पारिश्रमिक के एक तिहाई से कम और आधे से अधिक नहीं होगा ।

17. यदि उक्त पुस्तक या किसी भाषा में उसका अनुवाद या संक्षिप्त संस्करण, जो प्रकाशक ने प्रकाशित किया है, किसी समय अप्राप्य हो जाता है तो लेखक उसका नया संस्करण प्रकाशित करने की लिखित प्रस्थापना प्रकाशक को कर सकता है। यदि प्रकाशक उस पुस्तक का द्वितीय संस्करण या उससे छह मास के भीतर उसका कोई पञ्चातृती संस्करण प्रकाशित करने के लिए छह मास के भीतर लिखित रूप में सहमत नहीं होता है तो लेखक को यह हक होगा कि वह प्रकाशक को प्रथम संस्करण की पुस्तकों के विक्रय मूल्य के आधार पर सवा छह प्रतिशत स्वामित्व (रायल्टी) देकर उसका 1000 प्रतियों का एक संस्करण अपने खर्च पर प्रकाशित करे या किसी अन्य अधिकरण से प्रकाशित कराए।

18. यदि लेखक उक्त पुस्तक के पूर्वगामी खण्ड में उल्लिखित प्रकाशन का प्रबंध स्वयं करता है, तो लेखक को उन सभी स्टीरियो, ब्लॉकों, इलेक्ट्रोटाइप प्लेटों या अन्य प्लेटों को खरीदने का हक होगा जिनका उपयोग उक्त पुस्तक को सचित्र बनाने के लिए किया गया है। ये वस्तुएं वह उस उचित कीमत पर खरीद सकेगा जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का अध्यक्ष अवधारित करे। यदि लेखक उक्त स्टीरियो, ब्लॉक आदि तीन मास के भीतर नहीं खरीदता है तो प्रकाशक को यह हक होगा कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी रीति से उनका व्ययन कर दे।

19. यदि लेखक की मृत्यु हो जाती है या वह उक्त पुस्तक का, उसके द्वितीय या पञ्चातृती संस्करण के लिए पुनरीक्षण करने में असमर्थ है तो प्रकाशक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त पुस्तक को किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षित करा ले जिसे वह नियुक्त करे। किन्तु ऐसी दशा में लेखक की पत्नी/विधवा या बच्चों को यह हक होगा कि उन्हें उस रकम के एक तिहाई भाग का संदाय किया जाए जो उक्त पुस्तक का पुनरीक्षण करने के लिए उक्त सक्षम व्यक्ति को संदेय होगा। शेष दो तिहाई रकम का संदाय उक्त सक्षम व्यक्ति को किया जाएगा।

20. प्रकाशक, मुद्रकों और जिल्दसज्जों के उपयोग के लिए चित्रों, फोटो, नक्शों, तस्वीरों आदि के ब्लाक उपलब्ध करेगा। ये वस्तुएं प्रकाशक की पूर्ण सम्पत्ति होंगी और लेखक को अपने किसी ऐसे प्रकाशन के लिए उनका उपयोग करने का हक नहीं होगा जो उस प्रकाशक ने प्रकाशित या प्रायोजित नहीं किया है।

21. प्रकाशक उक्त पुस्तक का मुद्रण, उत्पादन और प्रकाशन ऐसी रीति से और शैली में करेगा जो वह स्वविवेकानुसार ठीक समझता है। टाइप जैकेटों के मुद्रण की रीति, समानकरण, विज्ञापन, विक्रय और विक्रय के निबंधनों के तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या और वितरण के बारे में सभी ब्यौरे प्रकाशक के एकमात्र विवेक पर छोड़ दिए जाएंगे।

22. उक्त पुस्तक का मूल्य प्रकाशक नियत करेगा।

23. प्रकाशक की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और प्रकाशक की ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां प्रकाशक की ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का अध्यक्ष या ऐसा कोई अधिकारी जिसे उस समय वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग के उक्त अध्यक्ष के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हैं, अथवा प्रकाशक द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दे सकेगा या कर सकेगा।

24. यदि इस करार के निबंधनों के अधीन लेखक को दी जाने वाली कोई सूचना लेखक के अंतिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बाबत यह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तामील कर दी गई है। इसी प्रकार यदि प्रकाशक को दी जाने वाली कोई सूचना प्रकाशक के अंतिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बाबत यह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तामील कर दी गई है।

25. यदि इस विवेक के अधीन या उसके संबंध में (ऐसे विषयों के बारे में छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध है) कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह भारत सरकार के शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय के सचिव के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकमात्र माध्यम के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। माध्यम का अधिनिर्णय अंतिम और इस संविदा के पक्षकारों पर आवद्ध कर होगा। भारतीय माध्यम अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तथा उसके कानूनी उपांतर, जो उस समय प्रवृत्त है, इस खंड के अधीन माध्यम का कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे।

26. यह करार किया जाता है कि स्टाम्प शुल्क सरकार देगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर ऊपर लिखी तारीख को उक्त लेखक, श्री/श्रीमती/कुमारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और प्रकाशक ने अपने लिए अपनी ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष श्री से हस्ताक्षर करवा दिए हैं।

उक्त लेखक ने

(1)

(2)

..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

f of

.....
(लेखक)

भारत के राष्ट्रपति (प्रकाशक) के लिए और उनकी ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष ने

(1)

(2)

..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

cal

.....
(अध्यक्ष)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

पुस्तक के अनुवाद के लिए करार

करार का ज्ञापन

एक पक्षकार के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी.....

(नाम)

जो.....का/की पुत्र/पत्नी/पुत्री है और.....

(स्थान का नाम)

.....का/की निवासी है (जिसे इसमें आगे लेखक कहा गया है और इसके अंतर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष द्वारा कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे प्रकाशक कहा गया है और इसके अंतर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हैं) के बीच आज तारीख.....को किए गए करार का ज्ञापन।

अनुवादक ने.....नामक पुस्तक (जिसे इसमें आगे उक्त पुस्तक कहा गया है) का सिन्धी भाषा में अनुवाद करने का वचनबन्ध किया है। वह उसे इसमें आगे दिए हुए निबन्धनों और शर्तों पर और प्रतिफल के लिए प्रकाशक से प्रकाशित कराना चाहता है।

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. अनुवादक इसमें आगे तय पाए गए निबन्धनों और शर्तों के अनुसार अनुवाद करेगा और उक्त पुस्तक को पूरा करेगा। वह उक्त पुस्तक को पूरी पाण्डुलिपि इसमें आगे उल्लिखित समय के भीतर प्रकाशक को सौंप देगा।

2. अनुवादक उक्त पुस्तक में, जहाँ कहीं उपलब्ध हो, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करेगा। उक्त पुस्तक की भाषा यथा संभव स्वभाविक और सरल होगी तथा उसकी शैली विषय के अनुरूप होगी।

3. अनुवादक प्रकाशक द्वारा कार्य सौंपे जाने की सूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप पूरा करेगा।

4. पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप तैयार होते ही अनुवादक उसकी एक प्रति प्रकाशक को और दो प्रतियाँ प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को विवेक्षा के लिए भेजेगा। प्रकाशक का विनिश्चय अन्तिम और अनुवादक पर बाधक होगा तथा प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट सुझावों और निर्देशों को अनुवादक कार्यान्वित करेगा।

5. अनुवादक उक्त पुस्तक की अन्तिम पाण्डुलिपि उन विनिश्चयों, सुझावों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा जो प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने इस निमित्त दिए हैं। सभी प्रकार से पूर्ण उक्त पुस्तक जिसमें तस्वीरें, नक्शे, रेखाचित्र, ग्राफ और अन्य चित्र भी हों, प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के, नमूने वाली प्रति पर दिए गए सुझावों और निर्देशों की सूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रकाशक को मुद्रण और प्रकाशन के लिए भेज दी जाएगी।

6. प्रकाशक उक्त पुस्तक के ग्रूफ "खण्ड 7" में दया उपबंधित सम्पूर्ण कृति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अनुवादक को भेज देगा। अनुवादक उन ग्रूफ कागजों को उसको भेजे जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर उनका पुनरीक्षण करके उन्हें ठीक करेगा। इस काम के लिए अनुवादक को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पुनरीक्षित ग्रूफ मिलने के 90 दिन के भीतर प्रकाशक उक्त पुस्तक को प्रकाशित कराएगा।

7. उक्त पुस्तक के प्रकाशित होने पर अनुवादक को उसकी अधिक से अधिक दस उपहार प्रतियाँ प्राप्त करने का हक होगा।

8. प्रकाशक, अनुवादक को नीचे लिखी दरों पर पारिश्रमिक का संचाय करेगा :—

(क) अनुवाद के लिए :

300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 8.00 रुपये।

3—25 OLLC/ND/83

(ख) टाइप कराने के लिए :

पहली प्रति के लिए, 300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 0.75 रुपये तथा दूसरी और उसके बाद की प्रतियों के लिए 300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 0.12 रुपये (बारह पैसे) ।

9. पारिश्रमिक का संदाय इस प्रकार किया जाएगा : कुल संदेय पारिश्रमिक का 90% भाग तब दिया जाएगा जब अनुवादक "खण्ड 7" में यथाउपबन्धित अन्तिम पांडुलिपि भेज देगा और बाकी 10% तब दिया जाएगा जब अनुवादक "खण्ड 8" में यथा-उपबन्धित प्रूफ शोधन का कार्य पूरा कर लेगा ।

10. उक्त पुस्तक के लिखने में अनुवादक देवनागरी लिपि या अरबी लिपि का प्रयोग कर सकता है । प्रकाशक उक्त पुस्तक को देवनागरी लिपि या अरबी लिपि या दोनों ही लिपियों में प्रकाशित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है ।

11. ऊपर बताए गए अनुसार किए जाने वाले संदायों के प्रतिफलस्वरूप, उक्त पुस्तक की पांडुलिपि में तथा चित्रों, फोटो, रेखाचित्रों, नक्शों और पांडुलिपि को तैयार करने में लेखक द्वारा उपयोग में लाई गई अन्य सामग्री में स्वामित्व और पूरा प्रतिलिप्यधिकार (कापी राइट) प्रकाशक में निहित होगा । प्रकाशक उक्त पुस्तक में पूर्ण प्रतिलिप्यधिकार का उपयोग करेगा और उसे विश्व के किसी भाग में उक्त पुस्तक के प्रकाशन/उत्पादन का और उक्त पुस्तक का या उसके किसी भाग का किसी भी भाषा में अनुवाद करने या संक्षेप तैयार करने का एकमात्र और अन्त्य अधिकार होगा । उक्त पुस्तक के उत्पादन, प्रकाशन, प्रचार और विक्रय का सम्पूर्ण अधिकार प्रकाशक में निहित होगा ।

12. प्रकाशक उक्त पुस्तक का मुद्रण, उत्पादन और प्रकाशन ऐसी रीति से और शैली में करेगा जो वह स्वविवेकानुसार ठीक समझता है । टाइप, जैकटों के मुद्रण की रीति, समालंकरण, विज्ञापन, विक्रय और विक्रय के निबन्धनों के तथा मुफ्त प्रतियों की संख्या और वितरण के बारे में सभी ब्यौरे प्रकाशक के एक मात्र विवेक पर छोड़ दिए जाएंगे ।

13. उक्त पुस्तक का मूल्य प्रकाशक नियत करेगा ।

14. प्रकाशक की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और प्रकाशक की ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां प्रकाशक की ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का अध्यक्ष या ऐसा कोई अधिकारी जिसे उस समय वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग के उक्त अध्यक्ष के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हैं अथवा प्रकाशक द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दे सकेगा या कर सकेगा ।

15. यदि इस करार के निबन्धनों के अधीन अनुवादक को दी जाने वाली कोई सूचना अनुवादक के अन्तिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बावत वह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तमील कर दी गई है । इसी प्रकार यदि प्रकाशक को दी जाने वाली कोई सूचना प्रकाशक के अन्तिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बावत यह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तमील कर दी गई है ।

16. यदि इस विलेख के अधीन या इसके सम्बन्ध में (ऐसे विषयों को छोड़ कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध है) कोई प्रश्न; विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह भारत सरकार के शिक्षा और युवासेवा मंत्रालय के सचिव के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थ्य के लिए निर्देशित किया जाएगा । माध्यस्थ्य का बहिर्निर्णय अंतिम और इस संविदा के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । भारतीय माध्यस्थ्य अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध तथा उसके कानूनी उपात्तर, जो उस समय प्रवृत्त हैं, इस खंड के अधीन माध्यस्थ्य कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे ।

17. यह करार किया जाता है कि यदि इस पर कोई स्टोप शुल्क देना होगा जो वह सरकार देगी ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर ऊपर लिखी तारीख को उक्त अनुवादक, श्री/श्रीमती/कुमारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और प्रकाशक ने अपने लिए और अपनी ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष, श्री से हस्ताक्षर करवा दिए हैं ।

उक्त अनुवादक ने

(1)

(2)

R) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

of the

(अनुवादक)

भारत के राष्ट्रपति (प्रकाशक) के लिए और उनकी ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष ने

(1)

(2)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

(N)

logy.

(अध्यक्ष)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली
आयोग

JK

पुस्तक के अनुवाद और प्रकाशन की अनुज्ञप्ति के लिए करार

करार का ज्ञापन

..... एक पक्षकार के रूप में जो का निवासी है (जिसे इसमें आगे "स्वत्वधारी" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और समनु-देशिनी भी समझे जाएंगे, जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति के (जिन्हें इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी समझे जाएंगे जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) बीच आज तारीख को किए गए करार का ज्ञापन ।

स्वत्वधारी ने अनुज्ञप्तिधारी को यह व्यपदिष्ट किया है कि उसे (स्वत्वधारी को) इसमें आगे बताई गई अनुज्ञप्ति देने का वैध अधिकार और पूर्ण हक है ।

अनुज्ञप्तिधारी, स्वत्वधारी द्वारा किए गए उपर्युक्त व्यपदेशन के आधार पर इस करार को करने के लिए सहमत हो गया है ।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है ।

अनुज्ञप्तिधारी ने स्वत्वधारी को इसमें आगे उल्लिखित जो संदाय किया है उसके प्रतिकलस्वरूप स्वत्वधारी, अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित पुस्तक का (जिससे इसमें आगे "पुस्तक" कहा गया है) भाषा में (जिसे इसमें आगे उक्त भाषा कहा गया है) अनुवाद करने और उसे भारत गणराज्य और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों में (जिन्हें इसमें आगे "उक्त राज्यक्षेत्र" कहा गया है) पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की और/या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा अभिकरण या अभिकरणों को, जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी तय करेगा, ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने की और/या ऐसे अनुवाद और पुस्तक रूप में उसके प्रकाशन की व्यवस्था करने की अनन्य और अंतरणीय अनुज्ञप्ति देता है किन्तु जिस व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा अभिकरण या अभिकरणों को ऐसा अंतरण किया जाता है उनके नाम और पते की पूर्ण सूचना स्वत्वधारी को दी जानी होगी :

पुस्तक का नाम

लेखक का नाम

अनुज्ञप्तिधारी यह वचनबंध भी करता है कि वह यह ध्यान रखेगा कि ऐसा कोई अनुवाद (जिसे इसमें आगे "अनुवाद" कहा गया है) जो वह स्वयं करता है या जिसे उसने प्राधिकृत किया है, निष्ठापूर्वक और सही रूप में किया जाएगा तथा स्वत्वधारी की लिखित पूर्ण सहमति के बिना मूलपुस्तक में कोई परिवर्तन, संशोधन या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

यह उपबंध भी किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी उक्त अनुवाद की प्रतियों का सारे विश्व में विक्रय कर सकता है परन्तु स्वत्वधारी उसे जिस देश का नाम लिखित रूप में अधिसूचित करता है उस देश में वह ऐसी प्रतियों का विक्रय उक्त मूल सूचना की तारीख से तीन मास के बाद बन्द कर देगा ।

2. स्वत्वधारी इस बात से सहमत है कि उक्त पुस्तक के अनुदित पाठ में प्रतिलिप्यधिकार प्रतियों के मुद्रण आदेश के लिए इसमें आगे उपबंधित आरक्षणों के अधीन रहते हुए अनन्य रूप से अनुज्ञप्तिधारी को होगा ।

3. इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी, उन अधिकारों के लिए जिनके लिए इस में अनुज्ञप्ति दी गई है स्वत्वधारी को 750 रु० (केवल सात सौ पचास रुपए) की पूरी फीस का संदाय करेगा और ये अधिकार तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि स्वत्वधारी को वह संदाय प्राप्त नहीं हो जाता है ।

4. स्वत्वधारी यह प्रत्याभूति (गारंटी) देता है कि इस करार के प्रयोजन के लिए वह उक्त पुस्तक का उक्त भाषा में अनुवाद करने के अधिकार का एकमात्र स्वत्वधारी है और उसने (स्वत्वधारी ने) किसी व्यक्ति या फर्म को उक्त पुस्तक का उक्त भाषा में अनुवाद करने और उक्त राज्यक्षेत्रों के भीतर उसे प्रकाशित करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति या अधिकार नहीं दिया है तथा उक्त पुस्तक स्वत्वधारी की सहमति या उपमति से उक्त राज्यक्षेत्रों में प्रकाशित नहीं की गई है और स्वत्वधारी यह करार करता है कि वह ऐसी हानि के लिए अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ताओं या समनुदेशितियों की क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति रखेगा जो अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ताओं या समनुदेशितियों को इस विलेख के अधीन दिए गए अधिकार के बारे में किसी व्यक्ति के दावे के कारण उठानी पड़े ।

arrange
foresaid
period
without

"Trans-
action ap-
prover on the
the said

Transla-

and copies

main ou-
and writer
not rectifi-
ling copy

determine
nt, so lon-
f the pro-

specificall

two copies

period of cur-
work in the

agreement
rise provid-
ment betwe-
appointed
the burden
is meaning-
ation there-
may be, m-
at Arbitrat-

cc.

1 and year f

5. अनुज्ञप्तिधारी यह वचनबंध करता है कि वह इस करार की तारीख से पांच वर्ष में या उसके पूर्व उक्त पुस्तक का उक्त राज्यक्षेत्र में उक्त भाषा में अनुवाद करेगा और/या उसे प्रकाशित करेगा और/या ऐसा करने के लिए और/या उसके अनुवाद और प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिए अन्य व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी उक्त अवधि या परस्पर सहमति से बढ़ाई गई अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो इस करार में दिए गए सब अधिकार, कोई और सूचना दिए बिना स्वत्वधारी को प्रतिवर्तित हो जाएंगे।

6. अनुज्ञप्तिधारी उक्त अनुवाद की सभी प्रकाशित प्रतियों पर, पुस्तक के शीर्षक, लेखक का नाम, संस्करण और स्वत्वधारी के संस्करण में प्रतिलिप्यधिकार की सूचना के पश्चात् "से अनुदित" शब्द लिखवाएगा। यह जानकारी उक्त भाषा शीर्षक के नीचे या शीर्षक पृष्ठ (टाइटिल पेज) के पीछे या उक्त भाषा में प्रकाशित प्रत्येक प्रति के शीर्षक पृष्ठ (टाइटिल पेज) के सम्मुख अर्द्ध-शीर्षक पृष्ठ (हाफ टाइटिल) के पीछे दी जाएगी।

7. स्वत्वधारी द्वारा प्रकाशित पुनरीक्षित संस्करण (नए पुनरीक्षण) इस करार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी पुस्तकों से संबंधित अनुवाद अधिकार पक्षकारों के बीच और आगे बातचीत से तय किए जाएंगे।

8. अनुज्ञप्तिधारी, स्वत्वधारी को पुस्तक के अनुवाद की और यदि उसके पुनरीक्षित अनुवाद हों तो उनकी दो प्रकाशित प्रतियां मुफ्त देने की व्यवस्था करेगा।

9. यदि अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रकाशक उक्त भाषा संस्करण की सभी मुद्रित प्रतियां समाप्त हो जाने देता है और वे दो वर्ष तक अप्राप्य बनी रहती हैं तथा पुस्तक को पुनः मुद्रित कराने के लिए स्वत्वधारी की लिखित सूचना मिलने के छः मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहेगा या यदि वह इस करार के किसी निबन्धन का अतिक्रमण करेगा और ऐसे अतिक्रमण को सुधारने के लिए लिखित सूचना मिलने के तीन मास के भीतर उसका सूधार नहीं करेगा तो इस करार के अधीन दिए गए सभी अधिकार जिनके अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार भी है, स्वत्वधारी को प्रतिवर्तित हो जाएंगे।

10. अनुज्ञप्तिधारी इसमें दी गई अनुज्ञप्ति किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं को, जिन्हें वह तय करेगा, उप पट्टे पर दे सकेगा, किन्तु जब तक यह करार प्रवृत्त रहता है तब तक अनुज्ञप्तिधारी इस करार को पूरा करने के लिए स्वत्वधारी के प्रति बाबद्ध रहेगा।

11. इसके द्वारा दिए गए पुस्तक रूप में प्रकाशन के वर्तमान अधिकार को छोड़ कर पुस्तक में सभी अधिकार स्वत्वधारी ने विनिर्दिष्ट रूप से आरक्षित रखे हैं।

12. इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने पर स्वत्वधारी उक्त पुस्तक के प्रकाशित किए जानेवाले नवीनतम संस्करण की दो प्रतियां अनुज्ञप्तिधारी को मुफ्त भेजेगा।

13. स्वत्वधारी यह करार और वचनबंध करता है कि वह वर्तमान अनुज्ञप्ति के चालू रहने की पूरी अवधि के दौरान उक्त पुस्तक का उक्त राज्यक्षेत्रों में उक्त भाषा में अनुवाद करने और उसे प्रकाशित करने की ऐसी ही कोई अनुज्ञप्ति न तो देगा और न समनुदेशित करेगा।

14. यदि ऐसे विषयों को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए अन्यथा उपबंध है, इस करार की विषय वस्तु या इसमें अंतर्निहित किसी प्रसंगिकता या खण्ड या बातों के संबंध में या दारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह पक्षकारों के बीच सहमति से नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ के एकमात्र माध्यस्थ्यम् के लिए और यदि ऐसी सहमति नहीं होती है तो ऐसे दो मध्यस्थों के माध्यस्थ्यम् के लिए निर्देशित किया जाएगा जिनमें से एक-एक मध्यस्थ विवाद के दोनों पक्षकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परन्तु मध्यस्थ निर्देश का भार स्वयं ग्रहण करने से पूर्व एक अधिनिर्णायक नियुक्त करेंगे तथा इस करार की बाबत यह समझा जाएगा कि यह भारतीय माध्यस्थ्यम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के अर्थ में माध्यस्थ्यम् के लिए करार है और उक्त अधिनियम के उपबंध या उनमें किए गए उपांतर इसको लागू होंगे। यह भी उपबंध किया जाता है कि, यथास्थिति, मध्यस्थ या अधिनिर्णायक अधिनिर्णय देने की अवधि को पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर बढ़ा सकेगा और माध्यस्थ्यम् की बैठकें भारत में होंगी।

15. यदि इस करार पर कोई नूतन शुल्क देय होगा तो वह अनुज्ञप्तिधारी देगा।

इसके साथ ही स्वत्वधारी इसके पक्षकार इसमें ऊपर लिखी तारीख की यह विलेख निष्पादित करते हैं।

उक्त स्वत्वधारी ने

(1)

(2)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

.....
(स्वत्वधारी)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से

(1)

(2)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर

किए गए और परिदान किया गया।

.....
(अनुज्ञापिधारी)

**पूर्वोत्तर सीमा रेल
जोन संविदा के लिए करार**

कार्य का अनुमानित मूल्य _____ रु०

संविदा करार सं० _____ तारीख _____
एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इसमें आगे 'रेल' कहा गया है, और दूसरे पक्षकार के रूप में _____, जिसे इसमें आगे 'ठेकेदार' कहा गया है, के बीच तारीख _____ को किए गए करार के अनुच्छेद।

ठेकेदार ने रेल के साथ यह करार किया है कि वह _____ से _____ तक की _____ मास की अवधि के दौरान _____ सेकशन _____ पर _____ किलोमीटर/और _____ किलोमीटर के बीच किसी भी स्थल पर सभी नया कार्य, विद्यमान संरचनाओं में परिवर्धन और परिवर्तन, विशेष मरम्मत कार्य और भवन निर्माण सामग्री का प्रदाय, जिनमें से प्रत्येक कार्य का संविदा मूल्य 50,000 रुपये से अधिक न हो, तथा सभी साधारण मरम्मत और रख रखाव का कार्य करेगा। ये कार्य उन कार्य-आदेशों में (जो इस संविदा के भाग रूप समझे और माने जाएंगे) लिखे होंगे जो उक्त अवधि के दौरान जारी किए जाएंगे। ठेकेदार इन कार्यों को इससे संलग्न अनुसूची में बताई गई दरों पर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेल संविदा की साधारण शर्तों और विनिर्देशों के और यदि कोई विशेष शर्त और विनिर्देश हैं तो उनके अनुसार तथा यदि उक्त कार्य-आदेशों के साथ कोई रेखा चित्र जारी किए जाएंगे तो उनके अनुरूप करेगा। उक्त का कार्यों निष्पादन ऐसा कार्य है जिसमें जनता हितवद्द है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि रेल जो भुगतान करेगी उसके प्रतिफलस्वरूप ठेकेदार उक्त कार्य-आदेशों में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन सम्यक् रूप से, बहुत तत्परता, सावधानी और सही रूप से तथा रेल को समाधानप्रद कुशल रीति से करेगा। ठेकेदार इन कार्यों को कार्य-आदेशों में उनके लिए उल्लिखित तारीखों को या उनके पूर्व उक्त विनिर्देशों और उक्त रेखा चित्रों (यदि कोई हों) के तथा संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार पूरा करेगा। वह (ठेकेदार) उक्त कार्य-आदेशों में बताई गई सभी शर्तों का (जिन्हें इस संविदा का भाग रूप समझा और माना जाएगा, मानो वे पूर्ण रूप से इसमें लिखी गई हों) पालन करेगा, उनको पूरा करेगा और उनके अनुसार कार्य करेगा। रेल यह करार करती है कि यदि ठेकेदार उक्त कार्यों का निष्पादन सम्यक् रूप से, ऊपर बताई गई रीति से करेगा तथा उक्त निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा और उनके अनुसार कार्य करेगा तो रेल, उक्त कार्यों के पूरा होने पर उनके लिए ठेकेदार को इससे संलग्न अनुसूची में बताई गई दरों पर उन कार्यों की बाबत देय रकम का भुगतान करेगी या कराएगी।

इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक कार्य आ जाने पर, जिन्हें थोड़े ही समय में पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो मंडल इंजीनियर अपने एकमात्र विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकार सौंपे गए कार्य की बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा और वह उस कार्य के बारे में जो उससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

भारत के राष्ट्रपति के लिए,

.....
मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर

मंडल अधीक्षक

उप मुख्य इंजीनियर

मंडल इंजीनियर

ठेकेदार के हस्ताक्षर के साक्षी

ठेकेदार का नाम

1. (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

पता

2. (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तारीख

दरों और मात्राओं की अनुसूची

कार्य का नाम और स्थान

कार्य का अनुमानित संविदा मूल्य

(i) रेखाचित्रों की अनुसूची

(ii) अनुमानित मात्राओं और दरों की (जिनके लिए निविदा दी जानी है) अनुसूची

| क्रम सं० | अनुमानित मात्रा | दरों की मदें | इकाई | दरें |
|----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | अंकों और शब्दों में | | अंकों और शब्दों में | अंकों और शब्दों में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

or(s)

तारीख

.....
ठेकेदार/ठेकेदारों के हस्ताक्षर

ध्यान दें :—स्तम्भ 1 से 4 तक उस प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा भरे जाएंगे जिसने निविदा आमंत्रित की है।

प्ररूप सा० वि० नि० 21

(नियम 181 देखिए)

प्रतिभू-बन्धपत्र का प्ररूप

यह सब को ज्ञात हो कि मैं

(नाम)

जो का पुत्र और

जिले में का निवासी हूँ और इस समय

..... में स्थायी के रूप में नियोजित हूँ (जिसे इसमें

आगे "प्रतिभू" कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती

और समनुदर्शित भी हैं) के प्रति, उसमें आगे उल्लिखित व्याज सहित

रु० (केवल रुपए) की रकम तथा अर्न्त

और मूविकल के बीच के सब खर्चों और उन सब प्रभारों और व्ययों का, जो सरकार को करने या उठाने पड़े अथवा करने या

उठाने पड़े हों, सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूँ और दृढ़तापूर्वक आवद्ध हूँ। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने

के लिए मैं अपने को, अपने पारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विवेक द्वारा दृढ़तापूर्वक आवद्ध करता हूँ।

इसके साक्ष्यस्वरूप मैं आज तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर

करता हूँ।

सरकार ने को जो का

पुत्र और जिले में का निवासी

हूँ और इस समय में अस्थायी के रूप में नियोजित

हूँ (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है) उधार लेने वाले की प्रार्थना पर

(प्रयोजन) के लिए रु० (केवल रुपए)

का अग्रिम देने का करार किया है। उधार लेने वाले ने उक्त रकम का साधारण वित्तीय नियम, 1963 के नियम 198 और उस

नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्तियन्त्रय (1) और (2) के अधीन विहित दर और रीति से अग्रिम दिए जाने के दिन से

उस पर लगाए गए व्याज या उस रकम के उतने भाग पर, जितना भाग उस समय देय हो, किन्तु जिसका संदाय न किया गया

हो, सरकारी उधारों के लिए नियत और चालू सरकारी दरों से लगाए गए व्याज सहित समान मासिक

किस्तों में लौटाने का वचनबद्ध किया है।

इस बात के प्रतिकलस्वरूप कि सरकार उधार लेने वाले को पूर्वोक्त अग्रिम देने के लिए सहमत हो गई है प्रतिभू ने उपर्युक्त बन्धपत्र, नीचे लिखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है।

उक्त बन्धपत्र की शर्त यह है कि यदि उधार लेने वाला

में नियोजित रहने के दौरान, सरकार को देय पूर्वोक्त रुपए

के अग्रिम की रकम का उस पर पूर्वोक्त रीति से लगाए गए व्याज सहित या उस रकम के उतने भाग पर जितना उस समय देय हो

किन्तु जिसका संदाय नहीं किया गया हो, सरकारी उधारों के लिए नियत और चालू सरकारी दरों से अग्रिम की तारीख से

उक्त रकम का सम्यक् रूप से संदाय किए जाने तक पूर्वोक्त रीति से लगाए गए व्याज सहित सम्यक् और नियमित रूप से किस्तों

में संदाय करता है या करता है तो यह बन्धपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रकृत और बलशील रहेगा।

किन्तु यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय सरकार की सेवा में नहीं

रहता है तो रु० (केवल रुपए)

का उक्त पूरा मूलधन या उसका इतना भाग जिसका संदाय उस समय तक नहीं किया गया है तथा उक्त मूल धन पर देय

व्याज, जो अग्रिम की तारीख से पूर्वोक्त रीति से लगाया जाएगा, सरकार को तुरन्त शोधय और संदेय हो जाएगा और इस बन्धपत्र

के आधार पर प्रतिभू से एक किस्त में वसूल किया जा सकेगा।

प्रतिभू, ने जो वाध्यता स्वीकार की है वह सरकार द्वारा, समय बहाए जाने या उक्त उधार लेने वाले के प्रति अन्य उदारता बरते जाने के कारण न तो उन्मोचित होगी और न किसी प्रकार प्रभावित होगी, चाहे ऐसा प्रतिभू की जानकारी में या उसकी सहमति से किया गया हो या नहीं।

सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस दस्तावेज पर जो भी स्टाम्प जुल्क देना होगा उसे सरकार देगी ।

आज तारीख को मैं,

उक्त (प्रतिभू का नाम)

ने

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

(1) (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) पदनाम

..... (साक्षी के हस्ताक्षर) कार्यालय

(2) (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किए और परिदान किया ।

मैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ ।

प्ररूप सा० वि० नि० 28

[नियम 265 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय (2) देखिए]

यह सब को जात हो कि हम (1)**
 (जिसे इसमें आगे 'बाध्यताधारी' कहा गया है) और (2)†
 (जिसे इसमें आगे 'प्रतिभू' कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) के प्रति††
 राष्ट्रपति के लिए बचनबद्ध और पूर्णतः तथा दृढ़तापूर्वक आबद्ध है। इस रकम का संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए हम
 स्वयं को, अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को संयुक्ततः और पृथक्तः आबद्ध
 करते हैं। सरकार ने मृतक * के कुटुम्ब को (जिसे इसमें आगे 'कुटुम्ब' कहा गया है) \$
 तक उनकी यात्रा के लिए और उक्त मृतक के निजी सामान को \$
 तक ले जाने के लिए यात्रा व्यय के अग्रिम मद्धे ††
 रु० की रकम का (जिस रकम की प्राप्ति बाध्यताधारी इसके द्वारा अमिस्वीकार करता है) बाध्यताधारी को संदाय कर दिया है।
 उक्त बंधपत्र को शर्त यह है कि यदि उक्त बाध्यताधारी पूर्वोक्त अग्रिम के उचित व्यय का हिसाब, जब कुटुम्ब एक ही
 दल में यात्रा करता है तो कुटुम्ब द्वारा \$ तक की यात्रा पूरी करने के एक मास
 के भीतर, या जब कुटुम्ब एक से अधिक दलों में यात्रा करता है तो अन्तिम दल द्वारा यात्रा पूरी करने के एक मास के भीतर
 या इस अग्रिम की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् छह मास को अवधि की समाप्ति के एक मास भीतर, जो भी पहले हो, सरकार को
 समाधानप्रद रूप में दे देता है, तो यह बंधपत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगा, अन्यथा यह बंधपत्र पूर्णतः प्रवृत्त, प्रभावी और
 बलशील रहेगा। यह बिलेख इस बात का भी साक्षी है कि —
 (क) भारत के राष्ट्रपति या किसी अधिकारी की ओर से बाध्यताधारी के प्रति किसी प्रचिरति, समय बढ़ाए जाने या
 उसके प्रति उदारता बरते जाने के कारण उक्त प्रतिभू, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशित
 उक्त बंधपत्र के अधीन अपने दायित्व से किसी तरह उन्मोचित नहीं होंगे चाहे ऐसा प्रतिभू की जानकारी या सहमति से किया
 गया हो या नहीं।
 (ख) इस बंधपत्र पर स्टाम्प शुल्क सरकार देगी।
 उक्त बाध्यताधारी ने
 1.
 2.
 को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया।
 उक्त प्रतिभू ने
 1.
 2.
 को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया।
 मैं,
 1.
 2.
 को उपस्थिति में, भारत के राष्ट्रपति के लिए
 और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ।

** उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसे अग्रिम दिया गया है।

† प्रतिभू का नाम लिखिए।

†† दिए गए अग्रिम की रकम लिखिए।

* मृतक सरकारी सेवक का नाम लिखिए।

\$ सरकारी सेवक का वह सामान्य निवास स्थान लिखिए, जहां तक नियमों के अनुसार यात्रा अनुज्ञय है।

प्ररूप सा० वि० नि० 30

(नियम 276 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय देखिए)

नकद प्रतिभूति बंधपत्र का प्ररूप

यह सब को ज्ञात हो कि मैं,
भारत के राष्ट्रपति, उनके उत्तरदायित्वों और समनुदेशितियों (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) के प्रति
रु० (..... रूप) की रकम का सरकार को सदाय करने के लिए वचनबद्ध और
.....
हूँ। इसका सदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक
प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूँ। तारीख को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

2. उक्त आबद्ध व्यक्ति को तारीख को
कार्यालय में के पद पर नियुक्त किया गया था और वह इस समय उसी पद पर
..... काम कर रहा है। उक्त ऐसे पद पर होने के परिणामस्वरूप
..... का संग्रह करने के लिए (यहां रोकड़िया/भंडारी/उपभंडारी/अधीनस्थ कर्मचारी के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए)
और उस सब सम्पत्ति और धन के साथ, जो उसके हाथ में या कब्जे में या निबन्धन के अधीन आती है अपने संव्यवहार का सही
और यथार्थ लेखा रखने और देने के लिए आबद्ध है। ये लेखा ऐसे प्ररूप और रीति में रखे जाएंगे जो सम्यक् रूप से नियत प्राधिकारी
द्वारा समय-समय पर विहित की जाए। वह ऐसी विवरणियाँ, लेखा और अन्य दस्तावेजों तैयार करने और देने के लिए भी आबद्ध
है जिनकी समय-समय पर उससे अपेक्षा की जाए।

3. उक्त ने, साधारण वित्तीय नियम, 1963 के नियम 280
के अनुसरण में उक्त नकद रु० (..... रूप) का उक्त
..... द्वारा अपने उक्त पद के और किसी ऐसे अन्य पद के जिसके लिए प्रतिभूति
अपेक्षित है और जिस पर उसे किसी समय नियुक्त किया जाए, कर्तव्यों के और ऐसे अन्य कर्तव्यों के, जिनकी अपेक्षा पूर्वोक्त
किसी पद पर रहने के दौरान उससे की जाए, सम्यक् रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए और ऐसी सब हानि, क्षति,
नुक्सान, खर्च या व्ययों के प्रति, जो उक्त के या उसके अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या
किसी व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के जिनके लिए वह उत्तरदायी है अवचार, अपेक्षा, असावधानी या किसी अन्य कार्य या लोप
के कारण किसी रूप में सरकार को किसी प्रकार उठाने पड़े या संदत्त करने पड़े, सरकार को प्रतिभूत और क्षतिपूर्ति करने के
प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के रूप में को परिदान कर दिए हैं और उसके पास जमा कर
दिए हैं।

4. उक्त ने की रकम का उपयुक्त बंधपत्र
निष्पादित किया है। उसमें शर्त यह है कि उक्त उक्त पद के और उस पद से संबंधित
अन्य कर्तव्यों का या ऐसे कर्तव्यों का जिनकी उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की जाए, सम्यक् रूप से पालन करेगा और उक्त
..... के और पूर्वोक्त सब और हर अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों के कार्यों या व्यक्तियों
से या उनके कारण हुई हानि के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

5. इस बंधपत्र की शर्त यह भी है कि यदि उक्त
ने पूर्वोक्त रूप में के पद पर रहने के दौरान, अपने उक्त पद के कर्तव्यों का
सर्वदा सम्यक् रूप से पालन और निर्वहन किया है और यदि वह, उक्त पद या किसी ऐसे अन्य पद पर रहने के दौरान जिसके
लिए प्रतिभूति अपेक्षित है और जिस पर उसे नियुक्त किया जाए या जिस पर वह कार्य करे, उनके सब और प्रत्येक कर्तव्य का
और ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जिनकी पूर्वोक्त किसी पद पर रहने के दौरान उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाए, सर्वदा सम्यक्
रूप से पालन और निर्वहन करेगा और के सरकारी खजाने में ऐसे सब धन और
धन के लिए प्रतिभूतियों को, जिनका सरकार को सदाय या परिदान किया जाना हो, और जो ऐसे पद के कारण उसके कब्जे
में या नियंत्रण में आएँ, सम्यक् रूप से सदाय करेगा और उस सब धन, कागजपत्र और अन्य सम्पत्ति का, जो उक्त पद के कारण
उसके कब्जे में या नियंत्रण में आएँ सम्यक् रूप से लेखा देगा और उनका परिदान करेगा तथा यदि उक्त
..... उसके
वारिस, निष्पादक, प्रशासक या विधिक प्रतिनिधि उक्त के लेखाओं में किसी हानि
या ग़वन की रकम, द्वारा उक्त से ऐसी हानि और/या ग़वन को
रकम की मांग को जाने के पश्चात्, जो लिखित होनी चाहिए और उक्त के कार्यालय या अंतिम

tion
and
...
ury,
at
...
or
ent,
...
this
orce
the
as
y as
time
cof,

.or
...
ffice
l by
ied
rity
l or
aths
ase
any
ent
son
the

: be
and
gal
the
late
all

be
the
or
os
the
...
..)

ज्ञात निवासस्थान पर छोड़ दी जाए, चौबीस घंटे के भीतर सरकार को संचाय करेगा या कराएगा और इसके अतिरिक्त वह सरकार को ऐसी सब और हर हानि, क्षति, नुकसान अनुयोजनों, वार्डों, कार्यवाहियों, खर्चों, प्रभारों या व्ययों की भी जो इसके पश्चात् किसी समय या किन्हीं समयों पर पूर्वोक्त किसी पद या किन्हीं पदों पर उक्त की सेवा या नौकरी के दौरान उक्त या उसके अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के जिनके लिए वह उत्तरदायी है, किसी कार्य, गहन, खदानत, कुप्रबंध, उपेक्षा, असफलता, अवचार, व्यतिक्रम, अवज्ञा, लोप या दिवालियापन के कारण सरकार को, यथास्थिति, हो, उसके द्वारा, उपगत हो, उसे उठाना पड़े, उस पर लाया जाए, चलाया जाए, उसके विरुद्ध प्रारंभ किया जाए या उस के द्वारा संदत्त किए जाएं, सर्वव क्षतिपूर्ति करेगा, उनसे उसे बचाएगा और उनसे उसे हानिमुक्त रखेगा, तो यह बाध्यता शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त होगी और रहेगी।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि पूर्वोक्त रूप में परिदान और जमा की गई रु० (..... रुपए) की उक्त रकम पूर्वोक्त प्रतिभूति के रूप में उस समय के पास होगी और रहेगी तथा उसको (प्राधिकारी का नाम) रु० की उक्त रकम या उसके किसी भाग को, अवसर की अपेक्षानुसार सरकार की क्षतिपूर्ति के लिए या पूर्वोक्त किसी अन्य कार्य के लिए, सरकार के क्षतिपूर्ति या अन्यथा जैसा ऊपर बताया गया है उसमें या उसके निमित्त लगाने की पूर्ण शक्ति होगी।

6. यह भी करार किया जाता है कि यदि उक्त की मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त की, चाहे, पूर्वोक्त के रूप में या अन्यथा, सेवा अन्तिम रूप से समाप्त कर दी जाती है या यदि किसी ऐसे पद पर जिसके लिए प्रतिभूति अपेक्षित है उक्त के अधीन नहीं रहता है तो रु० (..... रुपए) की उक्त राशि, उक्त की उक्त पद धारण करने के दौरान मृत्यु हो जाने के या उसके द्वारा उक्त पद को छोड़ देने के या ऐसे किसी पद पर जिसके लिए प्रतिभूति अपेक्षित है, उसके न रह जाने के पश्चात् मास के लिए सरकार द्वारा अपने पास रखी जाएगी और उक्त राशि या उसका उतना भाग जो उस समय जमा रहे और जो पूर्वोक्त रूप में लगाया या बिनियोजित न किया गया हो, मास की उक्त अवधि की समाप्ति पर, यथास्थिति, उक्त या उसके वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को व्हाज के बिना लौटा दिया जाएगा। यह बंधपत्र ऐसी किसी हानि, क्षति, नुकसान, व्यय या खर्चों का, जो, उक्त या पूर्वोक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण सरकार को, यथास्थिति उठाना, उपगत या संदत्त करना पड़ा हो और जिसका पता उसकी मृत्यु या उसकी उक्त सेवा की समाप्ति या ऐसे किसी पद पर जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई हो, उसके न रहने के पश्चात् ही चल सका हो, वसूल करने के लिए के पास रहेगा।

यदि इस बंधपत्र की शर्तों में से किसी शर्त के भंग होने का पता उक्त प्रतिभूति के लौटाए जाने के पश्चात् चलता है तो उक्त प्रतिभूति के किसी समय लौटाए जाने से यह नहीं समझा जाएगा कि इस बंधपत्र पर या उसके अधीन सरकार द्वारा उक्त या उसकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति प्रभावित हुई है या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और यथास्थिति उक्त या उसकी सम्पदा का उत्तरदायित्व सदैव बना रहेगा और सरकार की किसी भी समय पूर्वोक्त सब हानि या नुकसान के लिए पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

7. इसकी किसी भी बात से और इसके द्वारा दी गई प्रतिभूति से यह नहीं समझा जाएगा कि वह रु० (..... रुपए) की उक्त रकम या उसके किसी भाग या किन्हीं भागों के समग्रहण के लिए पूर्वोक्त विषयों के बारे में उक्त के दायित्व को सीमित करती है। यदि उक्त रकम पूर्वोक्त विषयों या उनमें से किसी के बारे में उनके द्वारा उठाई गई किसी हानि या नुकसान के लिए सरकार की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए अपर्याप्त है तो उक्त पूर्वोक्त हानि या नुकसान की पूर्ति करने के लिए रु० (..... रुपए) की उक्त रकम के अलावा ऐसी अतिरिक्त रकम का जो

er sum

द्वारा आवश्यक समझी जाए, मांग की जाने पर सरकार को संदाय करेगा और सरकार को यह हक होगा कि वह पूर्वोक्त रूप में संदेय अतिरिक्त रकम को किसी भी ऐसी रीति से वसूल कर ले जो अनुज्ञात हो।

उक्त आबद्ध व्यक्ति ने

1. (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

2. भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर

से ने, जो इस निमित्त

उनके द्वारा निर्दिष्ट या प्राधिकृत व्यक्ति है,

..... (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप सा० वि० नि० 31

(नियम 276 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय देखिए)

प्रतिभूति बंधपत्र का प्ररूप

(प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त विश्वस्तता बंधपत्र)

यह सब को ज्ञात हो कि मैं भारत के राष्ट्रपति, उनके उत्तराधिकारी और सन्तुष्टियों (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) के प्रति रू० (..... रूपए) की रकम का सरकार को संदाय करने के लिए बचनबद्ध और आबद्ध हूँ। इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूँ। तारीख को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

2. उक्त आबद्ध व्यक्ति को तारीख को कार्यालय में के पद पर नियुक्त किया गया था और इस समय उसी पद पर काम कर रहा है। उक्त ऐसे पद पर होने के परिणामस्वरूप का संग्रह करने के लिए (यहां रोकड़िया/भंडारी/उपभंडारी/अधीनस्थ कर्मचारी के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए) और उस सब सम्पत्ति और धन के साथ, जो उसके हाथ में या कब्जे या नियंत्रण के अधीन आती है, अपने संव्यवहार का सही और यथार्थ लेखा रखने और देने के लिए आबद्ध है। ये लेखा ऐसे प्ररूप और रीति में रखे जाएंगे जो सम्यक् रूप से गठित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर बिहित की जाए। वह ऐसी विवरणियाँ, लेखा और अन्य दस्तावेजों तैयार करने और देने के लिए भी आबद्ध है जिनकी समय-समय पर उससे अपेक्षा की जाए।

3. उक्त ने, साधारण वित्तीय नियम, 1963 के नियम 270 के अनुसरण में रू० (..... रूपए) की रकम के लिए कम्पनी द्वारा दिया गया विश्वस्तता बंधपत्र, उक्त द्वारा अपने उक्त पद के और किसी ऐसे अन्य पद के जिसके लिए प्रतिभूति अपेक्षित है और जिस पर उसे किसी समय नियुक्त किया जाए, कर्तव्यों के और ऐसे अन्य कर्तव्यों के, जिनकी अपेक्षा पूर्वोक्त किसी पद पर रहने के दौरान उससे की जाए, सम्यक् रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए और ऐसी सब हानि, क्षति, नुकसान, खर्च या व्ययों के प्रति, जो उक्त के या उसके अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के जिनके लिए वह उत्तरदायी है अवचार, उपेक्षा, असावधानी या किसी अन्य कार्य या लोप के कारण, किसी रूप में सरकार को किसी प्रकार उठाने पड़े, या संदत्त करने पड़े, सरकार को प्रतिभूत और क्षतिपूर्ति करने के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के रूप में को परिदान कर दिया है और उसके पास जमा कर दिया है।

4. उक्त ने की रकम का उपर्युक्त बंधपत्र निष्पादित किया है। उसमें शर्त यह है कि उक्त उक्त पद के और उस पद से संबंधित अन्य कर्तव्यों का या ऐसे कर्तव्यों का जिनकी उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की जाए, सम्यक् रूप से पालन करेगा और उक्त के और पूर्वोक्त सब और हर अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों के कार्यों या व्यक्तियों से या उनके कारण हुई हानि के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

5. इस बंधपत्र की शर्त यह भी है कि यदि उक्त ने, पूर्वोक्त रूप में के पद पर रहने के दौरान, अपने उक्त पद के कर्तव्यों का सर्वदा सम्यक् रूप से पालन किया है और उन्हें पूरा किया है और यदि वह, उक्त पद या किसी ऐसे अन्य पद पर रहने के दौरान जिसके लिए प्रतिभूति अपेक्षित है और जिस पर उसे नियुक्त किया जाए या जिस पर वह कार्य करे, उनके सब और प्रत्येक कर्तव्य का और ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जिनकी पूर्वोक्त किसी पद पर रहने के दौरान उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाए, सर्वदा सम्यक् रूप से पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा और के सरकारी खजाने में ऐसे सब धन और धन के लिए प्रतिभूतियों को, जिनका सरकार को संदाय या परिदान किया जाता है, और ऐसे पद के कारण उसके कब्जे में या नियंत्रण में आए, सम्यक् रूप से संदाय करेगा और उस सब धन, कामजन और अन्य सम्पत्ति का जो उक्त पद के कारण उसके कब्जे में या नियंत्रण में आए, सम्यक् रूप से लेखा देगा और उनका परिदान करेगा तथा यदि उक्त उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि उक्त के लेखों में की किसी हानि या खयामत की रकम का द्वारा उक्त से ऐसी हानि

keep
osts,
e or
fore-
ason
nce,
sons
id of

ereto
and
addi-
other
btain
said
me in

said
force
f the

shall
under
shall
all

shall
resaid
d that
tained
pay to
essary
afore-
in any

ture

और/या खयानत की रकम की मांग की जाने के प्रस्ताव जो लिखित होनी चाहिए और उक्त
के कार्यालय के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान पर छोड़ी जानी चाहिए, चौबीस घंटे के भीतर सरकार को संदाम करेगा या कराएगा और
इसके अतिरिक्त वह सरकार की ऐसी सब और हर हानि, क्षति, नुकसान, अनुपेक्षाओं, बाढ़ों, कार्यवाहियों, खर्चों, व्यय या प्रभारों को भी,
जो इसके पश्चात् किसी समय या किन्हीं समयों पर पूर्वोक्त किसी पद या किन्हीं पदों पर उक्त
की सेवा या नौकरी के दौरान उक्त या उसके अधीन काम करने वाले किसी
व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के जिनके लिए वह उत्तरदायी है किसी कार्य, गहन, खयानत, कुप्रबंध, उपेक्षा,
असफलता, अवचार, व्यतिक्रम, अवज्ञा, लोप या दिवालियापन के कारण सरकार को, यथास्थिति, ही, उसके द्वारा उपगत हो, उसे
उठाना पड़े, उस पर लाया जाए, चलाया जाए, उसके विरुद्ध प्रारंभ किया जाए या उसके द्वारा संदत्त किए जाएं सदैव क्षतिपूर्ति
करेगा, उनसे उसे बचाएगा और उनसे उसे हानियुक्त रखेगा, तो यह बंधपत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतया
प्रवृत्त होगा और रहेगा।

6. इसके पक्षकारों द्वारा यह घोषणा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि पूर्वोक्त रूप में परिदान और जमा
किया गया उक्त विश्वस्तता बंधपत्र सं० पूर्वोक्त रूप
में क्षतिपूर्ति और अन्य प्रयोजनों के लिए, सरकार को दिए गए उक्त बंधपत्र के अलावा जाम के और अतिरिक्त प्रतिभूति के
रूप में और उसके लिए, उस समय उक्त अधिकारी या सरकार के नियंत्रण में होगा और रहेगा। सरकार को या उस निमित्त
सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को इस बात की पूर्ण शक्ति होगी कि वह उक्त विश्वस्तता बंधपत्र पर या उसके फलस्वरूप
बसूल या प्राप्त की जा सकने वाली रकम या रकमों को या उनके पर्याप्त भाग का संदाय या उस बंधपत्र की सब प्रयुविधाएं और
फायदे प्राप्त करे और उन्हें पूर्वोक्त रूप में सरकार को क्षतिपूर्ति करने में और उसके लिए लगाए।

7. इसके पक्षकारों द्वारा यह घोषणा की जाती है और उनके बीच यह करार भी किया जाता है कि उक्त
उक्त कम्पनी द्वारा दिए गए उक्त विश्वस्तता बंधपत्र के प्रीमियम का, जैसे-जैसे ये शोध्य होते जाएं संदाय करके और उक्त कम्पनी
के उससे संबंधित नियमों का पालन करके, पूर्णतः प्रवृत्त रहेगा।

8. यदि इस बंधपत्र की शर्तों में से किसी शर्त के भंग होने का पता उक्त विश्वस्तता बंधपत्र के रद्द किए जाने या उसका
समय बीत जाने के बाद चलता है तो उक्त विश्वस्तता बंधपत्र के किसी समय रद्द कर देने या उसका समय बीत जाने से यह
नहीं समझा जाएगा कि उक्त बंधपत्र पर या उसके अधीन सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध कार्यवाई
करने का अधिकार प्रभावित हुआ है या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, किन्तु उक्त का उत्तरदायित्व
सदैव बना रहेगा और सरकार की पूर्वोक्त सब हानि या नुकसान के लिए पूर्ण रूप से सदैव क्षतिपूर्ति की जाएगी।

9. इसकी ओर इस प्रकार जमा किए गए विश्वस्तता बंधपत्र की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह
..... की उक्त रकम या उसके किसी भाग या किन्हीं भागों के समग्रहण के लिए पूर्वोक्त विषयों
के बारे में उक्त के दायित्व को सीमित करती है। यदि उक्त रकम पूर्वोक्त विषयों या
उनमें से किसी के बारे में उनके द्वारा उठाई गई किसी हानि या नुकसान के लिए सरकार की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने के
लिए अपर्याप्त है तो उक्त यथापूर्वोक्त हानि या नुकसान की पूर्ति करने के लिए
..... के उक्त विश्वस्तता बंधपत्र के अतिरिक्त ऐसी अतिरिक्त राशि जो
द्वारा आवश्यक समझी जाए, मांग करने पर सरकार को संदत्त करेगा और सरकार को यह हक होगा कि वह पूर्वोक्त रूप में
संदेय ऐसी अतिरिक्त राशि को अपनी इच्छानुसार किसी भी रीति से बसूल कर ले।

उक्त आबद्ध व्यक्ति ने

हस्ताक्षर

1.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

2. भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री ने जो इस निमित्त उनके द्वारा निर्दिष्ट या प्राधिकृत व्यक्ति हैं,

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप सा० वि० नि० 32

(नियम 157 के नीचे दिव्यण और नियम 158 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय देखिए)

लिखित वचनबन्ध का प्ररूप

पूरी तीर से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के अधीन उपक्रम/निगम द्वारा उस समय जब उसे उधार मंजूर किया जाए निष्पादित किए जाने वाले लिखित वचनबन्ध का प्ररूप।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913/कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, (कम्पनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है, (..... के अधिनियम सं०) द्वारा और उसके अधीन उसी नाम और अभिनाम से निगमित निगम जिसका कार्यालय में है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका कार्यालय में है, (जिसे इसमें आगे 'कम्पनी/निगम' कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) द्वारा भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'राष्ट्रपति' कहा गया है, और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) को तारीख को किए गए लिखित वचनबन्ध का ज्ञापन।

उक्त कंपनी/निगम आदि ने रु० (केवल पयों) के उधार के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है।

राष्ट्रपति ने उक्त कंपनी/निगम आदि को, भारत सरकार के मंत्रालय (..... विभाग) के पत्र/कार्यालय ज्ञापन सं० तारीख (संलग्न) में विहित निबंधनों और शर्तों पर रु० (केवल रुपयों) की रकम उधार देना स्वीकार कर लिया है।

उक्त कंपनी/निगम आदि द्वारा यह करार किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा उसे उधार दिए गए रु० (केवल रुपयों) की रकम के प्रतिकूलस्वरूप वह कंपनी/निगम आदि उक्त निबंधनों और शर्तों के अनुसार इस बात के लिए सहमत है कि वह :—

(i) उधार वार्षिक समान किस्तों में लौटाएगा और प्रथम किस्त उधार की प्राप्ति की तारीख से वर्ष बाद प्रतिभंद्य होगी ;

(ii) प्रत्येक वर्ष लौटाए जाने वाले मूलधन पर प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का संदाय करेगा ; और

(iii) ऊपर (i) के अनुसार उधार की किस्त और/या ऊपर (ii) के अनुसार ब्याज का संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर ऐसे संदायों पर जो पहले ही शोध्य हो चुके हैं प्रतिशत प्रति वर्ष की शास्तिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

यह करार और घोषणा भी की जाती है कि उक्त कंपनी/निगम आदि, राष्ट्रपति की लिखित सहमति के बिना, अपनी भूमि या मयनों या अन्य संरचनाओं के किसी भाग को और/या ऐसे संयंत्र, मशीनरी या किन्हीं अन्य नियत आस्तियों को जिनका स्वामी वह है, विल्लंगमग्रस्त या उसका अन्य संक्रमण नहीं करेगा, उन पर आडमान के रूप में कोई धारणाधिकार या भार सजित नहीं करेगा, उन्हें बंधक नहीं रखेगा, उन्हें किसी भी प्रकार से गिरवी नहीं रखेगा, और न उन पर किसी भी प्रकार का विल्लंगम सजित करेगा।

यह भी करार किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा पूर्वोक्त उधार दी गई उक्त मूल रकम उक्त कम्पनी/निगम आदि द्वारा केवल उस प्रयोजन या उन प्रयोजनों के लिए, जिसके/जिनके लिए पूर्वोक्त रकम मंजूर की गई थी, उपयोग में लाई जाएगी और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

day

इसके साथस्वरूप यह बिनेख ऊपर लिखी तारीख को उक्त कंपनी/निगम ने निष्पादित किया।

..... कंपनी/निगम आदि के लिए और उसकी ओर से श्री
 (नाम और पदनाम) (हस्ताक्षर) कंपनी/निगम की

मुद्रा ने

1.
2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप सा० वि० नि० २४

(नियम 207 देखिए)

मोटर गाड़ी के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप—प्रारम्भिक अग्रिम

यह करार एक पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें आगे 'उधार लेने वाला' कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'राष्ट्रपति' कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हैं) के बीच तारीख को किया गया।

उधार लेने वाले ने एक मोटर गाड़ी खरीदने के लिए और एक (उस) मोटर गाड़ी की वास्तव सीमा शुल्क का भंडाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार के साधारण वित्तीय नियम, 1963 के (जिसे इसमें आगे 'उक्त नियम' कहा गया है जिसके अन्तर्गत उस समय प्रवृत्त उसके कोई संशोधन या परिवर्धन भी है) नियम 199 से 211 तक के निबन्धनों पर रूप के अग्रिम के लिए आवेदन किया है और वह मंजूर कर दिया गया है और उधार लेने वाले को उक्त उधार जिन शर्तों पर दिया गया है/दिया गया था उनमें से एक यह है कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटर गाड़ी राष्ट्रपति को आडमान (गिरवी) रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में दिए गए उधार की रकम से या उसके भाग से मोटर गाड़ी जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं, खरीद ली है और/या सीमा शुल्क दे दिया है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिकूल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त १० की रकम या उसके उस भाग का जो इस विवेक की तारीख तक शेष रह जाता है रूप की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस समय शेष और शेष राशि पर उक्त नियम के अनुसार लगाया गया ब्याज देगा। उधार लेने वाला इस बात के लिए सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियम द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौतियां करके वसूल की जा सकेंगी अथवा यदि वह बारह माह से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त हो कर भारत से बाहर चला जाता है या भारत से बाहर किसी पद पर उसका स्थानान्तरण हो जाता है और ऐसा होने पर सक्षम प्राधिकारी ने अग्रिम की शेष रकम और/या पूर्वोक्त ब्याज भारत में रूप में लौटाने की इजाजत दे दी है तो उधार लेने वाला कगार करता है कि वह राष्ट्रपति को ऐसी वकालत रकम का संदाय उस लेखा अधिकारी के जिस की तहो में पूर्वोक्त उधार का लेखा रखा गया है, उसके पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मास की पन्द्रह तारीख तक धन भेज करेगा और उक्त करार के हो अनुसरण में उधार लेने वाला मोटर गाड़ी का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं, उक्त अग्रिम ओ उधर पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियम की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह घोषणा करता है कि उसने उक्त मोटर गाड़ी की पूरी कीमत और/या पूरा संदेय सीमा शुल्क दे दिया है और वह पुनः रूप से उसकी सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धन-राशि राष्ट्रपति को भेद्य रहती है तब तक वह उक्त मोटर गाड़ी को न तौ बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा। यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में नहीं वे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है या यदि उधार लेने वाले की किसी समय मृत्यु हो जाती है, या वह सरकारी सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ करता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप में लगाए गए ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटर गाड़ी का अमियहण कर सकेंगे और उस का कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे या उसे हटा सकेंगे और सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेंगे तथा बेचने से प्राप्त रकम में से उक्त उधार का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में लगाया गया और देय कोई ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे उधारी लेने वाले, उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे, परन्तु उक्त मोटर गाड़ी का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति में, उधार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष रकम और ब्याज के लिए, अथवा यदि मोटर गाड़ी बेच दी जाती है तो उसी रकम के लिए जितना

जुद्ध से प्राप्त शुद्ध आगम देय रकम से कम पड़े राष्ट्रपति के बाद जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब तक कोई धनराशि राष्ट्रपति को देय हो और वाकी रहे तब तक उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी का अग्नि, चोरी या दुर्घटना से या हड़ताल, बलवै और लोक-शान्ति के किसी प्रकार भंग होने से हानि नुकसान के लिए किसी बीमा कम्पनी में, जो संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदित की जाए, बीमा कराएगा और उसे चालू गाड़ी तथा महालेखाकार को समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कम्पनी को, जिसमें उक्त मोटर गाड़ी का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में राष्ट्रपति हितवद्ध हैं। उधार लेने वाला भी करार करता है कि वह मोटर गाड़ी को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या होने देगा अथवा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त मोटर गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

| | |
|---|--|
| मोटर गाड़ी का वर्णन | |
| गाड़ी का नाम | |
| वर्णन | |
| सिलेंडरों की संख्या | |
| इंजिन सं० | |
| चैसिस सं० | |
| लागत | |
| इसके साक्ष्यस्वरूप बंधक करने वाले/उधार लेने वाले ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से | |
| मंत्रालय/कार्यालय के श्री | ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। |
| उक्त | |
| ने | |
| (1) | (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर) |
| (साक्षी के हस्ताक्षर) | आम पदनाम |
| (2) | (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) |
| (साक्षी के हस्ताक्षर) | |
| की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए / | |
| राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से | |
| (अधिकारी का नाम) | |
| और पदनाम | |
| ने | |
| (1) | (अधिकारी के हस्ताक्षर) |
| (साक्षी के हस्ताक्षर) | पदनाम |
| | कार्यालय |
| (2) | |
| (साक्षी के हस्ताक्षर) | |
| की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। | |

मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्र का प्ररूप—अतिरिक्त अग्रिम

| | | |
|-----------|--|--|
| called | एक पक्षकार के रूप में श्री | जो |
| include | का पुत्र है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित भी | |
| ment" | हैं जब तक कि ऐसा विषय या सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति | |
| is and | (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हैं जब तक कि ऐसा विषय | |
| | या सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख | को किया गया अतिरिक्त भार |
| ...the | का विलेख । | |
| secure | उधार लेने वाले ने तारीख | के बंधक विलेख द्वारा उसमें (जिसे इसमें आगे |
| at the | "मूल विलेख" कहा गया है) उसकी अनुसूची में उल्लिखित मोटर गाड़ी खरीदने के लिए | र० |
| ncipal | के अग्रिम को और विलेख में दी गई दर से व्याज को प्रतिभूत करने के लिए विलेख में हो गई शर्तों पर मोटर गाड़ी सरकार को | |
| | आवमान (गिरवी) रख दी है । | |
| tower | उधार लेने वाले को सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए | र० की उक्त रकम में |
| er the | से, मूल विलेख के निबन्धनों के अनुसार मूलधन और व्याज मद्धे | र० की रकम |
| | अभी भी सरकार को शोध्य है और संदेय है । | |
| on the | उधार लेने वाले को उक्त मोटर गाड़ी भारत में लाने के समय उस पर संदेय सीमाशुल्क के संदाय मद्धे, साधारण वित्तीय | |
| Rules") | नियम, 1963 (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 199 से 211 तक के निबन्धनों पर | |
| India. | र० के अतिरिक्त अग्रिम की आवश्यकता है । | |
| sum of | उधार लेने वाले ने सरकार को आवेदन किया है कि उसे | र० और अग्रिम दिए जाएं तथा |
| same | सरकार ने उसी प्रतिभूति पर और इसमें आगे उल्लिखित निबन्धनों पर उसे उतनी रकम उधार देना स्वीकार कर लिया है ; | |
| le with | उधार लेने वाले ने इस प्रकार अग्रिम दी गई रकम से या उसके भाग से उक्त मोटर गाड़ी की वाबत सीमाशुल्क का संदाय | |
| | कर दिया है ; | |
| | यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :— | |
| | 1. उक्त करार के अनुसरण में और उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई | र० |
| hereby | (शब्दों में और अंकों में) की अतिरिक्त रकम के (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) प्रतिफल- | |
| ic sum | स्वरूप, उधार लेने वाला इसके द्वारा सरकार के साथ यह करार करता है कि वह सरकार को | र० |
| it's with | की रकम या उसका शेष भाग जिसका संदाय इस विलेख की तारीख तक न किया गया हो और उस पर व्याज इसमें दी गई | |
| | रीति से किस्तों में लौटा देगा । | |
| | 2. उधार लेने वाला सरकार को देय उक्त रकम— | र० की समान किस्तों द्वारा |
| due and | प्रत्येक मास के प्रथम दिन लौटाएगा और उस समय शोध्य और संदेय राशि पर उक्त नियम, के अनुसार लगाया गया व्याज | |
| ny part | तब तक देगा जब तक कि इसके द्वारा प्रतिभूत मूलधन या इस प्रतिभूति पर शोध्य उसके किसी भाग का संदाय शेष रहता है और | |
| covered | उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसी किस्ते उक्त नियम द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौती करके | |
| nt of his | वसूल की जा सकेंगी अथवा यदि वह बारह मास के अधिक की अवधि के लिए भारत से बाहर प्रतिनियुक्त हो कर चला | |
| red to | जाता है या भारत से बाहर किसी पद पर उसका स्थानान्तरण हो जाता है और ऐसा होने पर सक्षम प्राधिकारी ने अग्रिम | |
| ning un- | की शेष रकम और/या पूर्वोक्त व्याज भारत में र० में लौटाने की इजाजत दे दी है तो उधार लेने वाला करार करता है कि | |
| ver do- | वह राष्ट्रपति को ऐसी बकाया रकम का संदाय जिसे लेखा अधिकारी की वही में पूर्वोक्त अग्रिम का लेखा रखा गया है, उसके | |
| of even- | पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मास की पन्द्रह तारीख तक धन भेज कर करेगा । | |
| kept. | | |
| rest sha- | 3. इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या | |
| Borrowe | व्याज देय हो जाने के पश्चात् उस दिन के भीतर पूर्वोक्त रीति से दे नहीं दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है या | |
| with the | यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह सरकारी सेवा में नहीं रहता है या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी | |
| angeme- | को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व को छोड़ देता है या वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों | |
| at again | | |

which
ecome
eclare
in the
said
esents
.....
shall
ncipal
plied
ct in
same
part

के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिफ़ॉल्ट या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम और उक्त नियम के अधीन उस पर लगाया गया ब्याज जो उस समय इस विलेख और मूल विलेख के अधीन देय हो किन्तु उसका संदाय न किया गया हो, तुरन्त संदेय हो जाएगा।

4. उक्त करार और पूर्वोक्त प्रतिफल के अनुसार, उधार लेने वाला यह घोषणा करता है कि वह मोटर गाड़ी जिसका उल्लेख मूल विलेख में और इसमें आगे लिखी अनुसूची में की किया गया है, सरकार को रूप की उक्त राशि या इस विलेख की तारीख को शेष रकम और उस पर ब्याज के लिए जो उक्त मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत है तथा इसमें इसके पूर्व दो नई शर्तों के अनुसार हो की उक्त राशि और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति होगी और वे उस पर भार होंगे तथा उसका मोचन तब तक नहीं होगा या हो सकेगा जब तक कि इस विलेख और मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत धन का संदाय नहीं किया जाता है।

5. यह भी करार किया जाता है कि उपर्युक्त मूल विलेख में उसके द्वारा प्रतिभूत धन के संबंध में उल्लिखित और विवक्षित सभी शक्तियाँ, उपबंध और शर्तें मूलधन और ब्याज के लिए उसी रीति से पूर्णरूप से लागू की जाएंगी और प्रभावी होंगी मानो वे इसमें उल्लिखित हों और उन पर विनिविष्ट रूप से लागू की गई हों तथा मानो उक्त राशि मूल विलेख द्वारा प्रतिभूत अग्रिम का भाग हो।

अनुसूची

मोटर गाड़ी का वर्णन
गाड़ी का नाम
सिलिंडरों की संख्या
इंजन सं०
लागत
..... इसके साक्ष्यस्वरूप बन्धक करने वाले/उधार लेने वाले ने तथा राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मंत्रालय/
..... कार्यालय के श्री ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
..... आज तारीख को
..... उक्त
..... (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)
..... ने
..... (1)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)
..... (2)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)
..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
..... राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
..... (अधिकारी का नाम)
..... ने और पदनाम (अधिकारी के हस्ताक्षर)
..... (1) पदनाम
..... (साक्षी के हस्ताक्षर) कार्यालय
..... (2)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)
..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप सा० वि० नि० 25-क

[नियम 205 के नीचे भारत सरकार का विनिर्देश 2(घ) देखिए]

मोटर गाड़ी खरीदने के लिए सरकार द्वारा पहले मंजूर किए गए समस्त अधिम और उस पर ब्याज को लौटाए बिना, पुरानी मोटर गाड़ी बेचने से प्राप्त रकम से खरीदी गई मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्र का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री जो का पुत्र है, (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हों, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हों, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख को किया गया।

तारीख के बंधक विलेख द्वारा उधार लेने वाले ने उक्त बंधक विलेख (जिसे इसमें आगे "मूल विलेख" कहा गया है) में दी गई शर्तों पर और उसमें उल्लिखित दर से ब्याज पर रु० (शब्दों और अंकों में) का अधिम मोटर गाड़ी खरीदने के लिए प्राप्त करने के लिए उसकी अनुसूची में वर्णित मोटर गाड़ी (जिसे इसमें आगे "पुरानी मोटर गाड़ी" कहा गया है) राष्ट्रपति को बंधक रख दी है।

उधार लेने वाले ने राष्ट्रपति द्वारा उसको अधिम दी गई रु० की उक्त रकम का कुछ भाग लौटा दिया है और मूल धन तथा मूल विलेख के निबंधनों के अनुसार उस पर ब्याज मद्ध रु० (शब्दों और अंकों में) की राशि उधार लेने वाले द्वारा राष्ट्रपति को अभी भी शोध्य और संदेय है।

उधार लेने वाले ने, जिसे नई मोटर गाड़ी (जिसे इसमें आगे "नई मोटर गाड़ी" कहा गया है) की आवश्यकता है, अपनी पुरानी मोटर गाड़ी बेचने और नई मोटर गाड़ी खरीदने की अनुज्ञा के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है, और उधार लेने वाले को पुरानी मोटर गाड़ी बेचने और उससे प्राप्त रकम का, साधारण वित्तीय नियम, 1963 (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उस समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या उसमें कोई परिवर्धन भी है) के निबंधनों के अनुसार, उपयोग नई मोटर गाड़ी खरीदने में करने के लिए इस शर्त पर अनुज्ञा दी गई है कि उधार लेने वाले द्वारा नई मोटर गाड़ी राष्ट्रपति को इस प्रकार शोध्य और देय रकम के लौटाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रपति के पास बंधक रख दी जाएगी।

मूलधन मद्ध रु० की रकम उधार लेने वाले द्वारा शोध्य और देय है और इसके अतिरिक्त उधार लेने वाले पर मूल विलेख के निबंधनों के अनुसार ब्याज का संदाय करने का दायित्व भी है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि वह राष्ट्रपति को पूर्वोक्त रु० की रकम का संदाय रु० की समान मासिक किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन करेगा और उसे मूलतः अधिम दी गई रु० की रकम पर, जिसे इसमें आगे मूल विलेख के निबंधनों के अनुसार मूल धन कहा गया है, ब्याज देगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसे संदाय उक्त नियम में उल्लिखित रीति से उसके वेतन में से प्रतिमास कटौती करके वसूल किए जा सकेंगे और उक्त करार के ही अनुसरण में उधार लेने वाला मोटर गाड़ी का, जिसकी विशिष्टियां इसमें नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं, उक्त अधिम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियम की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार और घोषणा करता है कि उसने उक्त मोटर गाड़ी की पूरी कीमत और/या संदेय पूरा सीमा-शक्त दे दिया है और वह पूर्ण रूप से उसकी सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है तथा जब तक मूल धन के संबंध में कोई धन-राशि राष्ट्रपति को संदेय रहनी है तब तक वह उक्त मोटर गाड़ी को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा। यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् उसका दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रीति से संदाय नहीं कर दिया जाता या वसूल नहीं कर लिया जाता या यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह किसी समय सरकारी सेवा में नहीं रहता या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है या वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिश्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरंभ करता है तो उक्त मूलधन का शेष भाग, जो उस समय

Principal
are
sion
may
neys
lated
, de-
tors,
king
e the
f the
AND
dent,
theft
oved
stant
ived
will
gree
nage
and

देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो और मूलधन पर पूर्वोक्त रूप में लगाया गया ब्याज तुरन्त संदेय हो जाएगा तथा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें इसके पहले उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटर गाड़ी का अभिग्रहण कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसे हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे या उसे हटा सकेंगे और सार्वजनिक नीलाम या प्राइवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेंगे और बेचने से प्राप्त होने वाली रकम में से उस मूलधन की उस समय शेष रकम और मूलधन पर पूर्वोक्त रूप में लगाया गया और देय ब्याज और इसके अतिरिक्त अपने अधिकारों को बचाए रखने, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे और यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे परन्तु उक्त मोटर गाड़ी का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति से, उधार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष रकम और ब्याज के लिए, अथवा यदि मोटर गाड़ी बेच दी जाती है तो उक्त रकम के लिए जितनी से प्राप्त शुद्ध आगम उस देय रकम से कम में पड़े, बाद लाने के राष्ट्रपति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब तक कोई घनराशि राष्ट्रपति को शोध्य और संदेय रहे तब तक उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी का, अग्नि, चोरी या दुर्घटना से या हड़ताल, बलव और लोकशांति के किसी प्रकार भंग होने से होने वाली हानि या नुकसान के लिए किसी बीमा कम्पनी में, जो संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदित की जाए, बीमा कराएगा और उसे चालू रखेगा तथा महालेखाकार को समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कम्पनी को, जिसमें उक्त मोटर गाड़ी का बीमा कराया गया है, यह सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में राष्ट्रपति हितबद्ध है। उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उक्त मोटर गाड़ी को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या नहीं होने देगा अथवा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त मोटर गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

मोटर गाड़ी का वर्णन :

गाड़ी का नाम :

वर्णन :

सिलेंडरों की संख्या :

इंजिन सं० :

चैसिस सं० :

कीमत :

इसके साक्ष्यस्वरूप बन्धक करने वाले/उधार लेने वाले तथा राष्ट्रपति के जाए और उनकी ओर से
मंत्रालय/कार्यालय के श्री० ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

बाज, तारीख की में

उक्त

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

और पदनाम

पदनाम

(1)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

कार्यालय

(2)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

..... (अधिकारी का नाम और पदनाम)
ने

.....
(अधिकारी के हस्ताक्षर)

(1)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

पदनाम
कार्यालय

(2)
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

पट्टे का करार

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशी भी हैं) जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें आगे "उक्त आशयित पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत नामित व्यक्ति और उसके वारिस, निष्पादक या प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशी भी हैं, जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख को किए गए करार का स्थापन।

उक्त आशयित पट्टेदार ने राष्ट्रपति को आवेदन दिया है कि उसे राष्ट्रपति के नई राजधानी दिल्ली में स्थित और इसमें आगे वर्णित एक भूखण्ड का इसमें आगे उल्लिखित पट्टा, लेने का अधिकार मंजूर किया जाए और राष्ट्रपति ने उसके आवेदन को इसमें आगे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार कर लिया है।

उक्त आशयित पट्टेदार ने भूमि और विकास अधिकारी के पास रुपए की रकम जमा कर दी है। यह वह रकम है जिसके बारे में यह करार हुआ है कि उक्त आशयित पट्टेदार इसका संदाय इसमें आगे उल्लिखित पट्टे की उसको (उक्त आशयित पट्टेदार को) मंजूरी के लिए प्रीमियम के रूप में राष्ट्रपति को करेगा। जमा की गई यह रकम उक्त आशयित पट्टेदार द्वारा इस करार के निबन्धनों के सम्पत्क पालन के लिए राष्ट्रपति को प्रतिभूति होगी।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रपति उक्त आशयित पट्टेदार के साथ और उक्त आशयित पट्टेदार राष्ट्रपति के साथ लिखित प्रसविदा और करार करते हैं, अर्थात् :-

1. तारीख से गिने जाने वाले आगामी लिण्डर मास के दौरान उक्त आशयित पट्टेदार इसमें आगे अनुबंधित रीति में और विस्तार तक, केवल निर्माण और कार्य का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए उक्त भूखण्ड में प्रवेश कर सकेगा। इस भूखण्ड का वर्णन इस प्रकार है अर्थात् नई राजधानी दिल्ली में लोक सं. में भूखण्ड संख्यांक की भूमि इसके क्षेत्रफल लगभग है तथा उसके उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, और पश्चिम में और यह भूखण्ड इससे उपाबद्ध नक्शों में लाल रेखा से बनाया गया है और उसमें लाल रंग भरा गया है।

2. उक्त तारीख से मास की उक्त अवधि के भीतर उक्त आशयित पट्टेदार उक्त भूमि पर कुल मिला कर एक या दो कुटुम्ब के लिए एक प्राइवेट निवास गृह हेतु दो मंजिले रहायशी भवन का निर्माण अपने खर्च पर करेगा। यह निर्माण अच्छी और कुशल रीति से तथा नई और ठोस सामग्री से इस प्रकार किया जाएगा कि राष्ट्रपति का था उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी का (जिसे इसमें आगे उक्त अधिकारी कहा गया है) समाधान हो जाए। उस निवास गृह की दूसरी मंजिल पर उपयुक्त आकार की एक बरसाती होगी और वह निवास गृह पास पड़ोस के भवनों के अनुरूप होगा या उसमें सहायक उपगृह होंगे। उसमें सभी अपेक्षित और उचित दीवारें, मल व्यवस्था (सीवर) और नालियाँ तथा अन्य सुविधाएँ इस प्रकार और डिजाइन की होंगी जिसका लिखित अनुमोदन उक्त अधिकारी ने किया हो। ऐसे भवन का निर्माण सभी प्रकार से ऐसे डिजाइन, नक्शों और विनिर्देशों के अनुसार तथा ऐसी स्थिति और जगह में होगा और उसकी व्यवस्था ऐसी रीति से की जाएगी जिसकी स्थापना पहले की गई हो और जो उक्त आशयित पट्टेदार ने उक्त अधिकारी को प्रस्तुत की हो तथा जिसका अनुमोदन उक्त अधिकारी लिखित रूप में किया हो। यह आवश्यक है कि उक्त भवन में प्रयुक्त सब सामग्री अच्छी और ठोस हो तथा उक्त अधिकारी ने उसका अनुमोदन किया हो। काष्ठ केवल अच्छे सागौनों को होगा या ऐसे अच्छे प्रकार का होगा जिसकी मंजूरी उक्त अधिकारी देगा। सभी सामग्री उक्त भूमि पर ले आई जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की सम्पत्ति समझी जाएगी। उक्त परिसर के लिए सभी नालियाँ और सीवर उक्त अधिकारी और उचित नगरपालिका प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में ऐसी स्थिति में निर्मित, बनाई और बिछाई तथा संयोजित की जाएंगी जिसका निदेश उक्त अधिकारी ने दिया हो या जिसकी अपेक्षा उचित नगरपालिका प्राधिकारी करे।

3. उक्त भूमि पर निर्मित किए जाने वाले भवनों के सन्निर्माण के लिए नक्शे, परिच्छेद (सेक्शन), खड़े नक्शे (एसीलेक्शन्स) और विनिर्देश (और यदि निर्माण इस्पात या प्रबलित कंक्रीट की है तो परिकल्पन) अनुज्ञप्त वास्तुविद् या वास्तुविदों द्वारा तैयार किए जाएंगे। उक्त नक्शों और फर्णों की लम्बाई, चौड़ाई, और मोटाई तथा काष्ठ की घटक-माप अंकों में दर्शाए जाएंगे और उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री का वर्णन दिया जाएगा। ऐसे नक्शे, परिच्छेद, खड़े नक्शे और विनिर्देश उक्त अधिकारी को चार प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे। उक्त आशयित पट्टेदार प्रयोजन के रूप में अनुमोदित भवनों में, बाहर या भीतर, ऐसे कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा जिससे कि उसके किसी ऐसे स्थापत्य या संरचनात्मक लक्षण पर प्रभाव पड़े जो अनुमोदित नक्शों में दिया गया है। किन्तु यदि ऐसे परिवर्तनों और परिवर्धनों का अनुमोदन भी वैसी ही रीति से पहले कर दिया गया है तो वे किए जा सकेंगे।
4. उक्त आशयित पट्टेदार उचित नगरपालिका प्राधिकारी के, भवन से किसी भी प्रकार संबंधित सभी ऐसे नियमों, विनियमों और उपविधियों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर प्रवृत्त हों। यह परिसर की अधिकारिता के अंतर्गत आता है।
5. उक्त आशयित पट्टेदार उचित नगरपालिका प्राधिकारी के, स्वास्थ्य और स्वच्छता से किसी भी प्रकार संबंधित सभी ऐसे नियमों, विनियमों और उपविधियों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर प्रवृत्त हों। उक्त आशयित पट्टेदार उक्त भूमि पर प्रयोजित श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त शौचालय के स्थान की व्यवस्था उचित नगरपालिका प्राधिकारी की अपेक्षाानुसार करेगा अथवा समय-समय पर ऐसी रकम का संदाय करेगा जो भूमि और विकास अधिकारी उक्त भूमि के निकट ऐसे स्थान की व्यवस्था करने के खर्च में उसके हिस्से के रूप में नियत करे। उक्त आशयित पट्टेदार उक्त अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी श्रमिक या कर्मकार को, जिसको उसने नियोजित किया है उक्त भूमि पर रहने की अनुज्ञा नहीं देगा। यदि ऐसी अनुमति दे दी जाती है तो उक्त आशयित पट्टेदार उसके निबन्धनों का कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा।
6. उक्त अधिकारी यह तय और निर्धारित करेगा कि भवन के सामने का भाग कैसा और निचली मंजिलों का तल क्या होगा। उक्त आशयित पट्टेदार उनका कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा। राष्ट्रपति की अन्य सम्पत्ति की ओर सीमाएं और किराएदारों के बीच सीमाएं भी उक्त अधिकारी नियत करेगा।
7. सन्निर्माण के दौरान भवन उक्त अधिकारी के निरीक्षण के लिए भी सभी समय खुले रहेंगे।
8. यदि भवनों या मल व्यवस्था और नालियों तथा उसके अन्य अनुलग्नकों को बनाने और पूरा करने के दौरान उक्त आशयित पट्टेदार किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करेगा जिसके बारे में उक्त अधिकारी की यह राय है कि वह आशयित प्रयोजन के लिए दोषपूर्ण या अनुपयुक्त है या यदि भवनों में, उपर्युक्त रीति से अनुमोदित किए गए नक्शों, परिच्छेदों, खड़े नक्शों और विनिर्देशों से कोई विचलन किया जाता है तो उक्त आशयित पट्टेदार उक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सूचना पाते ही जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह ऐसी सब सामग्री हटा ले जो दोषपूर्ण या अनुपयुक्त समझी गई है, ऐसी सामग्री हटा लेगा और उसके स्थान पर ऐसी दोषरहित और उपयुक्त सामग्री लाएगा जिसका अनुमोदन उक्त अधिकारी कर दे तथा वह उपर्युक्त विचलन को ठीक कर देगा। यदि उक्त आशयित पट्टेदार सूचना मिलने के बाद सात दिन तक दोषपूर्ण या अनुपयुक्त सामग्री के स्थान पर दोषरहित और उपयुक्त सामग्री लाने में या उपर्युक्त विचलन को ठीक करने में उपेक्षा करता है तो उक्त अधिकारी के प्राधिकार और निर्देश के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे ऐसी दोषपूर्ण और अनुपयुक्त सामग्री को हटा दें और उसके स्थान पर दोषरहित और उपयुक्त सामग्री लाएं और अनुमोदित नक्शों, परिच्छेदों, खड़े नक्शों और विनिर्देशों से किए गए प्रत्येक विचलन को ठीक कर दें। ऐसे अधिकारी या उसके आदेश से इस प्रसंग में जो भी धन खर्च किया जाएगा उसका संदाय उक्त आशयित पट्टेदार करेगा। स्पष्ट रूप से यह घोषणा की जाती है कि इस करार के खण्ड 20 द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्ति पर इसमें इसके पूर्व दी गई स्वतंत्रता से किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. उक्त आशयित पट्टेदार इसके खण्ड 17 के अधीन राष्ट्रपति से पट्टा प्राप्त करने के पूर्व की अवधि के लिए तारीख से राष्ट्रपति को उक्त भूखण्ड के लिए वर्ष प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा। वह यह संदाय प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी और 15 जुलाई को समान छमाही किस्तों में भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या ऐसे स्थान पर करेगा जो इस प्रयोजन के लिए उक्त अधिकारी समय-समय पर अधिसूचित करे। ऐसा प्रथम संदाय मास की 15 तारीख को किया जाएगा।
10. उक्त आशयित पट्टेदार इसके खण्ड 16 के अधीन राष्ट्रपति से पट्टा प्राप्त करने के पूर्व उक्त अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना, जो लिखित रूप में दी गई हो, इस करार या उक्त भूखण्ड को दावत अनुज्ञप्ति के अधीन अपने किसी अधिकार अथवा तत्समय उक्त भूखण्ड पर या उसके किसी भाग पर के भवन या सामग्री में अपने किसी अधिकार का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समन्वयन या

अन्तरण नहीं करेगा या, बन्धक नहीं रखेगा और किसी अन्य प्रकार से उससे विलग नहीं होगा अथवा उसका समनुदेशन या अन्तरण करने या बंधक रखने या उससे विलग होने का कगार नहीं करेगा और न वह उक्त भूमि या उसके किसी भाग को उपपट्टे या उप-अनुज्ञप्ति पर ही देगा :

परन्तु मंजूरी मिल जाने पर राष्ट्रपति को भूमि के मूल्य में अनजित वृद्धि (अर्थात् संदत्त प्रीमियम और वर्तमान बाजार मूल्य का अन्तर) के एक भाग का दावा करने और उसे वसूल करने का हक होगा। इस बारे में राष्ट्रपति का विनिश्चय अन्तिम और अन्तरण के समय आवद्धकर होगा (चाहे ऐसा अन्तरण सम्पूर्ण स्थान या उसके किसी भाग का हो)। वसूल की जाने वाली रकम अनजित वृद्धि के पचास प्रतिशत के बराबर होगी।

11. राष्ट्रपति को उपर्युक्त अनजित वृद्धि का पचास प्रतिशत भाग काटने के बाद उस भूमि पर बनी सम्पत्ति का क्रय करने का अग्रक्रयाधिकार होगा।

12. उक्त आशयित पट्टेदार भूमि के किसी भाग में कोई उत्खनन (खुदाई) नहीं करेगा और वहाँ से उक्त भूमि पर भवनों की नींव डालने या मेंहराबदार डाट लगाने या बनाने के प्रयोजन को छोड़कर कोई पत्थर, रेत, बजरी, मृत्तिका या मिट्टी नहीं हटाएगा। यदि उक्त भूमि से उक्त आशयित पट्टेदार ने उपर्युक्त किसी प्रयोजन के लिए जो पत्थर, रेत, बजरी, मृत्तिका या मिट्टी हटाई है उसका उपयोग उक्त भवनों या सुविधाओं के निर्माण के लिए या उसके संबंध में नहीं किया जाता है तो वह सब ऐसे प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की सम्पत्ति होगी और उक्त आशयित पट्टेदार का उस पर कोई दावा नहीं होगा।

13. भूखण्ड पर खड़े वृक्ष सरकार की सम्पत्ति बने रहेंगे और उक्त अधिकारी को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उन्हें न तो हटाया जाएगा और न उनका किसी और रीति से व्ययन किया जाएगा।

14. उक्त आशयित पट्टेदार उक्त अधिकारी को लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई कुआ नहीं बनवाएगा और न सिंचाई के लिए या पीने के लिए जल के प्रदाय की कोई प्राइवेट व्यवस्था करेगा।

15. इस करार की अवधि के दौरान उक्त भूमि का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जो इसके खण्ड 2 में स्पष्ट रूप से बताया गया है और पट्टे में इस संबंध में अन्तर्विष्ट की जाने वाली प्रसंविदा के निबंधनों के अधीन रहते हुए उक्त भूमि पर बनाए जाने वाले भवनों के किसी भाग का उपयोग इसके बाद किसी भी समय उक्त अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना कुल मिलाकर एक या दो कुटुम्बों के लिए रिहायशी भवन या प्राइवेट निवास गृह से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और न करने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर या उक्त भवनों में ऐसा कोई कार्य न तो किया जाएगा न करवाया जाएगा और न करने दिया जाएगा जो उक्त अधिकारी के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति या पड़ोस की किसी अन्य सम्पत्ति के पट्टेदारों या अभिधारियों के लिए न्यूनतम या अवमानना, क्षोभ या असुविधा हो जाएगी या जिसका ऐसा होता सम्भाव्य है।

16. जब उक्त आशयित पट्टेदार उक्त अधिकारी का यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र, जिस पर तारीख पड़ी हो और उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर हों, पेश कर देगा कि उक्त भवन इसके खण्ड 2 के उपबंधों के अनुसार पूरे बन गए हैं और यदि इस करार की अन्य शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया गया है तथा यथा उपर्युक्त जमा की गई उक्त प्रतिमूर्ति में से इस करार के उपबंधों के अनुसार कोई वसूलियां की गई हैं तो जब उक्त आशयित पट्टेदार ऐसी अन्य रकम का संदाय कर देगा जो इसमें इसके पूर्व वर्णित प्रीमियम के रूप में उक्त आशयित पट्टेदार द्वारा संदेय..... रूप की पूर्ण राशि को पूरा करने के लिए अपेक्षित है तब राष्ट्रपति उक्त आशयित पट्टेदार को तारीख..... से:.....ह० के वार्षिक किराए पर या उस रकम के बराबर वार्षिक किराए पर जो इससे संलग्न पट्टे के मुद्रित प्ररूप में दी हुई प्रसंविदाओं और शर्तों के अधीन इसके बाद निर्धारित की जाए और जो अर्धवार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को संदेय होगा, पूर्वोक्त भवनों का और इसमें इसके पूर्व उल्लिखित भूखण्ड का शाश्वत पट्टा मंजूर करेंगे और उक्त आशयित पट्टेदार उसे स्वीकार करेगा।

17. परिस्थिति के अनुसार जहाँ तक सम्भव हो उक्त पट्टा, इससे संलग्न पट्टे के उक्त मुद्रित प्ररूप के अनुसार होगा जिसका उक्त आशयित पट्टेदार ने अनुमोदन कर दिया है और जिस पर उसने इस विलेख की तारीख को हस्ताक्षर किए हैं। उक्त पट्टे में वैसी ही प्रसंविदाएं होंगी जैसी प्रसंविदाएं पट्टे के मुद्रित प्ररूप में उल्लिखित हैं और उस पट्टे में ऐसी अन्य उचित और समुचित संविदाएं, खण्ड और शर्तें भी होंगी जो राष्ट्रपति या उसकी ओर से पट्टे के स्वरूप और ऐसी बातों को जो इस विलेख की तारीख और उक्त पट्टे के

निष्पादन की तारीख के बीच पैदा हों ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझी जाएं या जो उक्त पट्टे के निष्पादन के पूर्व प्रवृत्त होने वाले विधान मण्डल के किसी अधिनियम या उचित नगरपालिका प्राधिकारी या वैध रूप से गठित किसी अन्य प्राधिकारी के किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा आवश्यक हो जाए।

18. उक्त आशयित पट्टेदार उक्त पट्टे का एक प्रतिरूप (काउन्टर पार्ट) निष्पादित करेगा और ऐसे निष्पादन के तुरन्त बाद हस्तांतरण पत्र रजिस्ट्रार के समक्ष उसके निष्पादन की बात को स्वीकार करेगा। उक्त आशयित पट्टेदार उस अवधि के दौरान जो तारीख और ऐसे पट्टे तथा उसके प्रतिरूप के सम्पत् रूप से निष्पादन के दिन के बीच पड़ने वाली अवधि होगी, राष्ट्रपति को उस किराए का जिसे इस पट्टे में इसके पूर्व आरक्षित करने का करार किया गया है, और उक्त भूमि और वनों की बाबत सब रेंटों, करों, प्रभारों, निर्धारणों और अन्य देनदारियों का भी अधिस रूप से संदाय करेगा। यदि ऐसे किराए के संदाय में उसके देय होने के बाद एक मास तक व्यतिक्रम होता है (चाहे उसकी मांग की गई हो या नहीं) तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसा किराया या उसकी वसूली के सब खर्च उक्त जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल कर लें। उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त आशयित पट्टेदार पट्टे के उक्त प्ररूप में पट्टेदार की ओर से की गई सभी प्रसंविदाओं और शर्तों से उसी प्रकार आवद्ध होगा और सब प्रकार से उनके वही परिणाम होंगे मानो पट्टा वास्तव में निष्पादित कर दिया गया हो।

19. उक्त आशयित पट्टेदार को यह हक नहीं होगा कि वह यह अपेक्षा करे कि उसे अन्तरित किए जाने वाले उक्त भूखण्ड पर राष्ट्रपति का हक दिखाया जाए या उक्त आशयित पट्टा मंजूर करने के राष्ट्रपति के अधिकार का कोई सवृत दिया जाए।

20. इसमें इसके पूर्व जिस पट्टे के मंजूर किए जाने का करार किया गया है वह और उसका प्रतिरूप उक्त अधिकारी तैयार करेगा और उसके तथा इस करार के स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण का और इस करार की दूसरी प्रति का खर्च उक्त आशयित पट्टेदार देगा। उन सभी दस्तावेजों की रजिस्ट्रीकरण, हस्तांतरण पत्र रजिस्ट्रार के पास कराया जाएगा और उसका खर्च उक्त आशयित पट्टेदार देगा।

21. यदि उक्त आशयित पट्टेदार इसमें इसके पूर्व दी हुई अपनी सब प्रसंविदाओं या उनमें से किसी एक या अधिक का भंग करेगा या उनके पालन में व्यतिक्रम करेगा तो राष्ट्रपति या उस निमित्त उनके नियोजन में किसी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त भूमि पर प्रवेश करे और उक्त भूमि तथा उस पर उस समय पाए जाने वाले सभी भवनों, निर्माण और सामग्री का कब्जा राष्ट्रपति के पूर्ण उपयोग के लिए बनाए रखे और तब यह करार, जहां तक राष्ट्रपति के वचनबंधों का सम्बन्ध है, शून्य होगा और उपर्युक्त जमा की गई प्रतिभूति राष्ट्रपति को समपहृत हो जाएगी और वह उसे प्रतिधारित कर सकेगा तथा वह पूर्णतः उनकी होगी किन्तु इससे उक्त आशयित पट्टेदार के विरुद्ध राष्ट्रपति के अन्य सभी विधिक अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. जैसा इसमें उपबंधित है उसके सिवाय उक्त अधिकारी को अनुज्ञा के बिना कोई भी समपहरण या पुनः प्रवेश नहीं किया जाएगा और वह ऐसे समपहरण या पुनः प्रवेश के लिए तब तक अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर लिखित रूप में ऐसी सूचना की तामील न कर दी हो जिसमें:—

(क) उस भंग की विशिष्टि दी हो जिसके बारे में शिकायत की गई है,

(ख) यदि भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो,

और आशयित पट्टेदार उस सूचना की तामील की तारीख से उचित समय के भीतर उस भंग का, यदि वह उपचार योग्य है, उपचार करने में असफल हुआ हो। यदि समपहरण या पुनः प्रवेश होता है तो उक्त अधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उस समपहरण से छूट दे सकेगा जिन्हें वह उचित समझे।

इस खण्ड की कोई बात अनधिकृत उपविभाजन के विरुद्ध प्रसंविदा के भंग के कारण पुनः प्रवेश को लागू नहीं होगी।

23. इस करार के अधीन दी जाने वाली सभी सूचनाएं, सहमतियां और अनुमोदन लिखित रूप में होंगे (उन सूचनाओं, सहमतियों और अनुमोदनों को छोड़ कर जिनके लिए इसमें इसके पूर्व अन्यथा उक्त है) और उन पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यदि जिस परिसर को अंतरित करने का इसके द्वारा करार किया गया है उस परिसर पर वने किसी भवन या निर्माण पर, चाहे वह अस्थायी हो या अन्यथा ऐसी सूचनाएं लगा दी जाती हैं या उक्त आशयित पट्टेदार के उस समय के निवास स्थान, कार्यालय, कारबार के स्थान पर या उसके प्रायिक या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान, कार्यालय या कारबार के स्थान पर परिदत्त कर दी जाती हैं या डाक से भेज दी जाती हैं तो ऐसी सभी सूचनाओं की बाबत यह समझा जाएगा कि उनकी उक्त आशयित पट्टेदार पर सम्पत् रूप से तामील हो गई है।

24. जब तक उक्त पट्टे का निष्पादन नहीं कर दिया जाता है तब तक इस विवेक की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस भूखण्ड का जिसको अन्तरित करने का इसके द्वारा करार किया गया है या उसके किसी भाग का विधि की दृष्टि से ऐसा

अन्तरण है जिससे उक्त आशयित पट्टेदार को उसमें कोई विधिक हित प्राप्त होता है। किन्तु उक्त आशयित पट्टेदार को केवल इस करार का पालन करने के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि पर प्रवेश करने का अधिकार होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निदेश से उक्त अधिकारी ने और उक्त आशयित पट्टेदार ने इस पर ऊपर लिखी तारीख को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश
और निदेश से उक्त.....

(हस्ताक्षर)

ने
(1).....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

और उक्त.....ने

(हस्ताक्षर)

(1).....

(2).....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

दिहायशी

पुनरीक्षित (4)

शाश्वत पट्टा

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे पट्टाकर्ता कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें आगे पट्टेदार कहा गया है) के बीच तारीख को किया गया।

नई राजधानी दिल्ली में भवनों के स्थानों के व्यय के संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन, दिल्ली के मुख्य आयुक्त पट्टाकर्ता की ओर से नज़ूल भूमि के उस भूखण्ड का, जिसका वर्णन इसमें आगे किया गया है, पट्टेदार को इसमें आगे बताई गई रीति में अन्तरण करने को सहमत हो गए हैं।

यह करार इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन के पूर्व दिए गए स्पष्ट के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभी स्वीकार करता है) के और इसमें आगे आरक्षित किराए के तथा इसमें आगे दी हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के फलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को वह सम्पूर्ण भूखण्ड अन्तरित करता है जिसका क्षेत्रफल लगभग है और जो ब्लॉक संख्यांक में भूखण्ड संख्यांक है। यह ब्लॉक नई राजधानी दिल्ली के निर्माण के लिए अर्जित भूमि में है। इस भूखण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखण्ड की सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में लाल रेखा से बनाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा गया है। इस भूखण्ड का अन्तरण, भूखण्ड के या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित परिसर को तारीख से शाश्वत रूप से धारण करेगा। यह अन्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार उस भूखण्ड का स्पष्ट का अग्रिम संदेय वार्षिक किराए का या ऐसी अन्य रकम का जो इसके बाद इसमें आगे दी गई प्रसंविदाओं और शर्तों के अधीन निर्धारित की जाए, सभी कटौतियों से मुक्त रूप में संदाय प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को बराबर छमाही किस्तों में इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर करेगा जो दिल्ली के मुख्य आयुक्त इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित करें। ऐसा प्रथम संदाय की 15 तारीख को किया जाएगा।

यह पट्टा इसमें आगे दिए गए अपवादों, आरक्षणों, शर्तों और प्रसंविदाओं के अधीन रहेगा, अर्थात्:—

1. पट्टाकर्ता उक्त भूमि में या उसके नीचे की खानों, खनिजों, कोयले, गोल्ड वाशिंग, खनिज तेलों और खदानों को इस पट्टे में सम्मिलित नहीं करता है और उन्हें तथा सभी समय पर ऐसे सभी कार्य और बातें करने का पूरा अधिकार और शक्ति अपने लिए आरक्षित रखता है जो उनकी तलाश करने, उनके खनन, उनको प्राप्त करने, हटाने और उनका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समाचीन हैं। उसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उक्त भूमि के तल के लिए या उस पर तत्समय खड़े किसी भवन के लिए किसी उर्ध्वाधर अचलम्ब (खड़े सहारे) की व्यवस्था करे या ऐसा अवलम्ब छोड़े। यह भी उपबंध है कि पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षित अधिकारों या उनमें से किसी के प्रयोग से सीधे होने वाले सब नुकसान के लिए पट्टेदार को उचित प्रतिकर देगा।

2. पट्टेदार अपने लिए, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों के लिए पट्टाकर्ता से निम्नलिखित रूप में प्रसंविदा करता है, अर्थात्:—

(1) पट्टेदार, पट्टाकर्ता को इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराए का संदाय, उन तारीखों को और उस रीति में करेगा जो इसमें इसके पूर्व नियत की गई हैं।

(2) पट्टेदार समय-समय पर और सभी समय हर प्रकार के ऐसे सभी रेंटों, करों, प्रसारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू-स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे के जारी रहने के दौरान इसके बाद किसी समय निर्धारित, प्रभाविता या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं।

(3) इसके द्वारा अन्तरित परिसर की वास्तव देय किराए और अन्य संदायों की सभी बकाया की बसूली उसी रीति में की जा सकेगी जिस रीति में पंजाब रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का अधिनियम 17) और तत्समय प्रवृत्त उसके किसी संगोपन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व की बकाया बसूली की जाती है।

(4) पट्टेदार भवन संबंधी, जल निकास संबंधी और अन्य उपविधियों का जो नई राजधानी दिल्ली में तत्समय प्रवृत्त हों, सभी प्रकार अनुपालन करेगा और उनसे आबद्ध होगा।

(5) पट्टेदार, उक्त अन्तरित परिसर पर बनाए गए भवनों में, दिल्ली के मुख्य आयुक्त को या किसी ऐसे अधिकारी या निकाय को जिसे पट्टाकर्ता या दिल्ली का मुख्य आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे, लिखित पूर्व सहमति के बिना ऐसा कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा जिससे उसके किसी स्थापत्य या संरचनात्मक विशिष्टियों पर कोई प्रभाव पड़े और न वह उक्त अन्तरित परिसर के किसी भाग पर, उन भवनों से भिन्न और उनको छोड़कर जो इस विनियम की तारीख को उस पर बने हैं, कोई भवन निमित्त करेगा या निमित्त करने देगा।

(6) पट्टेदार मुख्य आयुक्त की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई कुंआ नहीं बनाएगा और न सिंचाई के लिए या पीने के लिए जल के प्रदाय की कोई प्राइवेट व्यवस्था करेगा।

(7) पट्टेदार उपर्युक्त सहमति के बिना उक्त परिसर पर न तो किसी प्रकार का व्यापार या कारबार करेगा या करने की अनुज्ञा देगा और न उसका उपयोग एक या दो रहायशी फ्लैटों वाले दो मंजिले रहायशी भवन में भिन्न किसी प्रयोजन के लिए करेगा या करने की अनुज्ञा देगा और न उस पर कोई ऐसा कार्य या बात करेगा या करने देगा जिससे दिल्ली के मुख्य आयुक्त की राय में भारत के राष्ट्रपति या नई राजधानी दिल्ली में उनके अभिधारियों के लिए किसी प्रकार का क्षति या विघ्न हो।

(8) पट्टेदार द्वारा निमित्त सेवक क्वार्टरों का दखल दिल्ली के मुख्य आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना, मुख्य भवनों का दखल रखने वाले व्यक्तियों के वास्तविक सेवकों से भिन्न व्यक्तियों के पास नहीं होगा और न उसकी अनुज्ञा दी जाएगी।

(9) पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित परिसर में, दिल्ली के मुख्य आयुक्त की या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय को लिखित सहमति के बिना कोई उत्खनन (खुदाई) नहीं करेगा और इस पट्टे के जारी रहने के दौरान सभी समय उस परिसर को और उस पर के सभी भवनों को दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय को समाधानप्रद रूप में स्वच्छ दशा में रखेगा।

(10) पट्टेदार इस पट्टे के जारी रहने के दौरान सभी समय उक्त भूमि पर निमित्त किए जाने वाले सभी भवनों को दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय को समाधानप्रद रूप में अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा।

(11) पट्टेदार सभी उचित समयों पर दिल्ली के मुख्य आयुक्त को या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय को या नई राजधानी दिल्ली में परिसरों की स्वच्छ हालत में रखने के लिए नियुक्त स्वच्छता कर्मचारी को उक्त अन्तरित परिसर पर आने जाने देगा और ऐसे स्वच्छता नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा जो दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय समय-समय पर विहित करे।

(12) पट्टेदार इस पट्टे की समाप्ति पर परिसर और उक्त निवास-स्थान तथा उससे अनुलग्न भवन शांतिपूर्वक पट्टाकर्ता को सौंप देगा।

(13) पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित उक्त परिसर के या उसके किसी भाग के किसी समनुदेशन या अन्तरण के पूर्व उस समनुदेशन या अन्तरण के लिए पट्टाकर्ता से या दिल्ली के मुख्य आयुक्त से या ऐसे अधिकारी या निकाय से जिसे पट्टाकर्ता इस निमित्त प्राधिकृत करे, लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा ऐसे सब समनुदेशनी और अंतरित और पट्टेदार के वारिस इनमें दी हुई सभी प्रसविदाओं और शर्तों से आबद्ध होंगे और वे उसके लिए सभी प्रकार से जवाबदार होंगे।

परन्तु पट्टाकर्ता को, अन्तरण के समय (चाहे ऐसा अन्तरण सम्पूर्ण भूमि का या उसके केवल एक भाग का हो) भूमि के मूल्य में अर्जित वृद्धि (अर्थात् संवत् प्रीमियम और वर्तमान बाजार मूल्य के बीच के अन्तर) के भाग का दावा करने और उसे वसूल करने का भी हक होगा। वसूल की जाने वाली रकम अर्जित वृद्धि की 50 प्रतिशत रकम होगी।

पट्टाकर्ता को, उक्त अर्जित वृद्धि की 50 प्रतिशत रकम की कटौती करने के पश्चात् सम्पत्ति को क्रय करने का अप्रक्रयाधिकार होगा।

3. यदि किसी समय पट्टाकर्ता को या दिल्ली के मुख्य आयुक्त की (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) यह राय है कि पट्टेदार ने या उसके माध्यम से या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने खण्ड 2 के उपखण्ड (3), (9) और (10) में दी हुई प्रसविदाओं या शर्तों को भंग किया है और यदि उक्त पट्टेदार ऐसे किसी भंग का, पट्टाकर्ता या ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षरित उस सूचना की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, जिसमें उससे ऐसे भंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो, पट्टाकर्ता या दिल्ली के मुख्य आयुक्त को समाधानप्रद रूप में ऐसे किसी भंग का उपचार करने में उपेक्षा करेगा या असफल रहेगा, तो पट्टाकर्ता के प्राधिकार या निदेश के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे अन्तरित परिसर में प्रवेश करें और (क) उक्त परिसर पर निर्मित भवनों में किए गए परिवर्तनों या परिवर्धनों को हटा दें या नष्ट कर दें, (ख) उक्त परिसर पर दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना निर्मित भवन को हटा दें या नष्ट कर दें, (ग) उत्खनन (खुदाई) को पाट दें या ऐसी मरम्मत करें जो आवश्यक हो। दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा या उसके आदेश से इस निमित्त जो भी धन खर्च किया जाएगा उस सबका संदाय उक्त पट्टेदार करेगा। अभिव्यक्त रूप से यह घोषणा की जाती है कि इसके खण्ड 4 और 5 द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्ति पर, इसमें इसके पूर्व दी गई स्वतंत्रता से किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. यदि इसके द्वारा आरक्षित किराया या उसका कोई भाग, चाहे उसकी मांग की गई हो या नहीं, उक्त तारीखों के, जब वह देय हो गया हो, पश्चात् एक कलेण्डर भास तक किसी समय बकाया और असंदाय रहेगा, अथवा पट्टाकर्ता या दिल्ली के मुख्य आयुक्त की जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा, यह राय है कि पट्टेदार ने या उसके माध्यम से या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें इसके पूर्व दी हुई और उसके द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रसविदाओं या शर्तों में से किसी का भंग किया है तो उस दशा में इस बात के होते हुए भी कि इसके द्वारा अन्तरित परिसर के या उस पर बने भवनों के किसी भाग में, सम्पूर्ण परिसर या भवनों के नाम पर पुनः प्रवेश के किसी पूर्व हेतु का अधिकार का अधित्यजन कर दिया गया है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे पुनः प्रवेश करें और तब यह अन्तरण और इसकी हर बात समाप्त हो जाएगी तथा पट्टेदार किसी भी प्रतिकर के लिए या उस प्रीमियम के लौटाए जाने के लिए, जिसका संदाय उसने किया है, हकदार नहीं होगा।

5. जैसा इसमें उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी समपहरण या पुनः प्रवेश दिल्ली के मुख्य आयुक्त की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा और वह ऐसे समपहरण या पुनः प्रवेश के लिए तब तक अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर लिखित रूप में ऐसी सूचना की तामील न कर दी हो जिसमें :—

(क) उस भंग की विशिष्टि दी हो, जिसके बारे में शिकायत की गई है,

(ख) यदि भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो,

और पट्टेदार उस सूचना की तामील की तारीख से उचित समय के भीतर उस भंग का, यदि वह उपचार योग्य है तो, उपचार करने में असफल न हुआ हो। यदि समपहरण या पुनः प्रवेश होता है तो मुख्य आयुक्त अपने विवेकानुसार ऐसे निबंधनों और शर्तों पर उस समपहरण के विरुद्ध राहत दे सकेगा।

इस खण्ड की कोई बात अनधिकृत उपविभाजन के विरुद्ध प्रसविदा के भंग के कारण पुनः प्रवेश को लागू नहीं होगा।

6. इसके द्वारा आरक्षित किराया 1 जनवरी की या उसके पश्चात् और उसके बाद कम से कम तीस-तीस वर्ष की प्रत्येक अवधि के अंत में पट्टाकर्ता के विकल्प पर बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु प्रत्येक बड़ोतरी के समय नियत किराए में वृद्धि ऐसे प्रत्येक समय पर उस तारीख को जब बड़ोतरी की गई है भवनों के बिना भूमि के पट्टा मूल्य में वृद्धि के आधे से अधिक नहीं होगी और ऐसा पट्टा मूल्य दिल्ली के कलेक्टर और उपायुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह भी उपबंध है कि पट्टेदार को यह अधिकार होगा कि वह उक्त कलेक्टर या पट्टा उपायुक्त के पट्टा मूल्य का निर्धारण करने वाले आदेश के विरुद्ध उसी प्रकार और उतनी ही अवधि के भीतर अपील कर सकेगा मानो ऐसा निर्धारण पंजाब रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का अधिनियम 17) की धारा 50 के अर्थ के अन्तर्गत किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण हो और ऐसी अपील की या उसके संबंध में कार्यवाही सभी प्रकार से उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा उसी रीति से शासित होगी मानो वह कार्यवाही उस अधिनियम के अधीन की गई हो।

7. इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त 'पट्टाकर्ता' और 'पट्टेदार' पदों के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल हो पट्टाकर्ता की दशा में उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशित तथा पट्टेदार की दशा में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि और अन्य व्यक्ति भी हैं जिसमें या जिनमें इसके द्वारा सृजित पट्टाधृति हित, समनुदेशन द्वारा या अन्यथा तत्समय निहित है।

इसके माध्यमस्वरूप इसके पक्षकारों ने इस पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है :

भूखण्ड के उत्तर में है।

भूखण्ड के दक्षिण में है।

भूखण्ड के पूर्व में है।

भूखण्ड के पश्चिम में है।

..... ने

(1).....

(हस्ताक्षर)

(2).....

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश और निर्देश से दिल्ली के मुख्य आयुक्त के सचिव
(स्थानीय स्वायत्त शासन) ने.....

(1).....

(हस्ताक्षर)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

| |
|----------------|
| रिहायशी |
| पुनर्वासित (2) |

प्रस्थायी पट्टा

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'पट्टाकर्ता' कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उत्तर-वर्ती और समनुदेशित भी हैं, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें आगे 'पट्टेदार' कहा गया है और इसके अंतर्गत, जहाँ संदर्भ के अनुकूल है, उक्त के उत्तरजीवी भी हैं) आज तारीख को किया गया।

खण्ड 1—इसमें आगे आरक्षित किराए के और पट्टेदार की ओर से की गई उन प्रसविदाओं के जो इसमें आगे दी हुई हैं और जिन हा पट्टेदार को अनुपालन करना है, प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता पट्टेदार को उस भूखण्ड का अस्थायी पट्टा मंजूर करता है जो पट्टाकर्ता की पूर्ण सम्पत्ति है और जिसका क्षेत्रफल वर्ग फीट है। यह भूखण्ड दिल्ली में उस भाग में स्थित है जिसका अर्जन नई राजधानी के निर्माण के लिए किया गया है। इस भूखण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है और अधिक स्पष्टता के लिए उसकी सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में लाल रेखा से बनाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा गया है :

परन्तु भूमि का यह पट्टा इस करार के प्रत्येक और सभी निबन्धनों और शर्तों के अधीन दिया गया है, अन्यथा नहीं।

खण्ड 2—पट्टेदार भूमि और विकास अधिकारी, नई दिल्ली, या ऐसे अन्य अधिकारी के द्वारा, जो इस निमित्त नियुक्त किया जाए पट्टाकर्ता को रूप की रकम का संदाय करेगा। किराया प्रतिवर्ष अधिम दिया जाएगा और यदि किराए का कोई भाग उसके संदेय होने की तारीख से पन्द्रह दिन बीतने पर या उसके पूर्व नहीं दिया जाता है, तो वह बकाया समझा जाएगा, चाहे उसकी मांग की गई हो या नहीं।

खण्ड 3—पट्टा तारीख से प्रारम्भ होगा और प्रथम वर्ष का किराया उसी तारीख को शोध्य और संदेय होगा। पट्टा वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। किन्तु यदि परस्पर सहमति या परिवर्तित से वह उक्त की अवधि के बीत जाने के बाद प्रवृत्त रहने दिया जाता है तो ऐसे उपांतर के अधीन रहते हुए जिसके लिए पट्टाकर्ता और पट्टेदार लिखित रूप में परस्पर सहमत हो जाएं, इस पट्टे के निबन्धन और शर्तें पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेंगी :

परन्तु वर्ष की अवधि के दौरान, जब पट्टा प्रवृत्त रहेगा, यह पर पट्टा समझा जाएगा।

खण्ड 4—पट्टाकर्ता उक्त भूमि में या उसके नीचे की सभी खानों, खनिजों, कोयलों, खनिज तेलों, गोल्ड वाशिंग, उसके सभी वृक्षों और जलाने की लकड़ी, जल सरणियों और जलनिकास प्रणालियों और उसके आर-पार जाने वाले सभी सार्वजनिक मार्गों के और उन पर सभी विद्यमान अधिकारों को पट्टे से बाहर रखता है और उन्हें अपने लिए आरक्षित करता है।

खण्ड 5—पट्टेदार सभी समय पट्टाकर्ता के उचित अधिकारियों और सेवकों को बिना किसी रोक-टोक या बाधा के उस भूमि पर पट्टाकर्ता के लिए इसमें इसके द्वारा आरक्षित सभी या किन्हीं अधिकारों के पूर्ण प्रकटन और उपभोग से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए तथा इस पट्टे के प्रत्येक और सभी निबन्धनों, शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन कराने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने देगा। इसमें पट्टाकर्ता के लिए आरक्षित अधिकारों के और उसको प्रदत्त शक्तियों के अधीन की गई किसी बात के कारण पट्टेदार को, किराए में कमी द्वारा या किसी अन्य प्रकार से कोई प्रतिकर शोध्य नहीं होगा और न वह वसूल कर सकेगा।

खण्ड 6—पट्टेदार, पट्टाकर्ता को लिखित पूर्व सहमति के बिना इस पट्टे के अधीन अपने सभी या किसी अधिकार का न तो विक्रय करेगा, न उसे बन्धक रखेगा, न उस पर कोई भार सृजित करेगा और न उसका उपपट्टा करेगा और न उसे अन्य प्रकार से अन्तर्गत करेगा ऐसी सहमति के बिना किया गया प्रत्येक अंतरण या अंतरण का प्रयास, पट्टाकर्ता के विरुद्ध शून्य होगा।

खण्ड 7—पट्टेदार इस भूमि पर किसी भवन या संरचना का निर्माण नहीं करेगा। वह इस भूमि का उपयोग केवल के लिए करेगा।

खण्ड 8—पट्टेदार सभी समय का अनुरोध करेगा और उसे उचित स्वच्छ हात में रखेगा। ऐसा वह प्रत्येक दशा में, दिल्ली के मुख्य आयुक्त या ऐसे अधिकारी या निकाय को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप में करेगा। पट्टेदार इस भूमि में कोई गड़बड़े या उत्खनन नहीं करेगा किन्तु वह ऐसे उत्खनन कर सकेगा जो के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

खण्ड 9—पट्टेदार दिल्ली के मुख्य आयुक्त की या ऐसे अधिकारी या निकाय की जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त नियुक्त करे, लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी समय उक्त भूमि का उपयोग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए न तो करेगा, न कराएगा और न किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा।

खण्ड 10—यदि मूल अवधि (एकवर्ष/..... वर्ष) बीतने के पूर्व किसी समय पट्टाकर्ता को उक्त भूमि की आवश्यकता के लिए होती है तो वह पट्टेदार को एक मास की लिखित सूचना देकर इस पट्टे को समाप्त कर सकेगा तथा उस सूचना की अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार भूमि को शान्तिपूर्वक खाली कर देगा और उसका कब्जा दे देगा :

परन्तु पट्टे के इस प्रकार समाप्त किए जाने पर और पट्टेदार द्वारा उसका कब्जा शान्तिपूर्वक दे दिए जाने पर (किन्तु अन्यथा नहीं) पट्टेदार को यह हक होगा कि उसे उस किराए का आनुपातिक भाग वापस दे दिया जाए जो बिना बीती अवधि के लिए अग्रिम दिया गया है तथा पट्टे के इस प्रकार समाप्त किए जाने के समय उस भूमि पर जो भी सामग्री मौजूद है उसके लिए उसे कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह एक मास की सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व ऐसी सामग्री हटा ले जो उसने वहां रखी हो।

खण्ड 11—यदि किसी समय कोई किराया बाकी रहता है या पट्टेदार इस पट्टे को किसी अन्य शर्त को जिसका उसे अनुपालन करना चाहिए, भंग करता है तो पट्टाकर्ता तुरन्त और कोई सूचना दिए बिना तथा इस पट्टे की मूल अवधि (..... वर्ष) समाप्त होने पर या उसके बाद किसी भी समय पट्टाकर्ता एक मास की लिखित सूचना देकर इस पट्टे को समाप्त कर सकेगा और पट्टे की समाप्ति पर उसे उक्त भूमि पर प्रवेश करने का तथा उसका कब्जा फिर से ग्रहण करने और पट्टेदार को या उसके माध्यम से धारण करने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल करने का पूरा अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा। भूमि के कब्जे के पुनर्ग्रहण पर वह सब सामग्री और चीजें जो कब्जे के पुनर्ग्रहण के समय उस भूमि में या पर हैं, पट्टाकर्ता में निहित होंगी और वे उसकी पूर्ण सम्पत्ति हो जाएंगी :

परन्तु पट्टाकर्ता अपने विवेकानुसार और अनुग्रहपूर्वक पट्टेदार को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह सब सामग्री या चीजें ऐसे समय के भीतर और ऐसे निबन्धनों पर हटा ले, जो वह (पट्टाकर्ता) ठीक समझे :

परन्तु यह और कि पट्टेदार को यह हक नहीं होगा कि वह पट्टाकर्ता द्वारा पट्टे के इस प्रकार समाप्त किए जाने के या उसके द्वारा भूमि का या भूमि पर विद्यमान सामग्री या चीजों के पुनर्ग्रहण के या इसके द्वारा पट्टाकर्ता को प्रदत्त शक्तियों का विधिपूर्ण प्रयोग करते हुए या किसी भी प्रकार उसके संबंध में पट्टाकर्ता द्वारा की गई किसी बात के बारे में किसी भी नुकसानी, प्रतिकर या संदाय की मांग करे, उसे प्राप्त करे या उसे वसूल करे।

खण्ड 12—इस बात के अधीन रहते हुए और जब तक कि पट्टेदार इस पट्टे के प्रत्येक और सभी निबन्धनों और शर्तों का पूरी तौर से पालन करता है, पट्टाकर्ता उसे इस बात का आश्वासन देता है कि इसके द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर इस पट्टे के जारी रहने के दौरान उसका शान्तिपूर्ण कब्जा और उपयोग होगा।

खण्ड 13—पट्टेदार इस पट्टे को समाप्त करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना देकर इस पट्टे को समाप्त कर सकेगा और इस प्रकार दी गई सूचना की अवधि समाप्त होने पर पट्टाकर्ता को भूमि का कब्जा खण्ड 11 में उपबंधित रीति से और उसके उपबंधों के अनुसार पुनर्ग्रहण करने का पूरा अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा।

खण्ड 14—पट्टा समाप्त होने पर या अवधि के पूर्व समाप्त कर दिए जाने पर पट्टाकर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह भूमि को उस दशा में लाने के लिए जिस दशा में वह इस पट्टे के निष्पादन के समय थी, भूमि पर से सब सामग्री और चीजों को हटा दे और उस पर या उसके संबंध में किए गए सभी व्यय को पट्टेदार से विधि के सम्मत् अनुक्रम में वसूल कर ले :

परन्तु इस खण्ड की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह पट्टेदार को पट्टे के समाप्त किए जाने के पूर्व किसी समय भूमि पर से अपनी सामग्री और चीजें स्वयं हटाने से और भूमि को उसकी मूल दशा में पुनः लाने से रोकती है या उसके लिए उसके हक को छीनती है।

खण्ड 15—भूखण्ड पर खड़े वृक्ष सरकार की सम्पत्ति बने रहेंगे और भूमि और विकास कार्यालय की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उन्हें न तो हटाया जाएगा और न किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन किया जाएगा।

खण्ड 16—यह परिसर दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्र में आता है।

खण्ड 17—पार्क के अन्दर की सड़कों का डिजाइन, पार्क के निर्माण के समय नई दिल्ली नगरपालिका समिति तैयार कर सकेगी।

खण्ड 18—पट्टेदार, समय-समय पर अपेक्षित विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सीमित अवधि के वास्ते विशुद्ध रूप से अस्थायी स्वरूप की संरचनाओं को छोड़ कर इस भूमि पर कोई संरचना न तो बनाएगा और न बनाने देगा।

खण्ड 19—जहां तक भूमि के उपयोग का संबंध है, सरकार की आवश्यकताओं को अधिमान दिया जाएगा।

खण्ड 20—सरकार एक मास की सूचना देकर अपने विकल्प पर इस विलेख की अवधि के दौरान किसी भी समय भूमि को नई दिल्ली नगरपालिका समिति की देखरेख और प्रबंध से पुनर्ग्रहण कर सकेगी। ऐसा होने पर सरकार नई दिल्ली नगरपालिका समिति को वाड़ लगाने, जल प्रदाय प्रबंध आदि जैसे पूंजी स्वरूप के, यदि कोई हो, विकास के लिए प्रतिकर देगी जो निर्धारणों के अवक्षयण मूल्य पर आधारित होगा।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है :

इसके साथ स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें आगे लिखी तारीखों को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

.....ने आज

तारीखको

(1).....

.....

(हस्ताक्षर)

(2).....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

और परिदात किया।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश

से.....ने

.....

.....

(हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

सं०.....

भारत सरकार

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

खाद्य विभाग

(सेना क्रय संगठन)

नई दिल्ली-1

निविदा-ग्रामंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश

नई दिल्ली तारीख.....

ध्यान दे :—जिस लिफाफे में यह निविदा भेजी जाए वह लिफाफा और इसके बाद का सब पत्र-व्यवहार निम्नलिखित को संबोधित और परिदत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :—

मुख्य क्रय-निदेशक,
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय,
खाद्य विभाग,
सेना क्रय संगठन,
नई दिल्ली-1

तार का पता

'खाद्यक्रय' नई दिल्ली

सभी पत्र-व्यवहार मुख्य क्रय-निदेशक से उसके पदनाम से होना चाहिए, नाम से नहीं।

प्रेषक

भारत के राष्ट्रपति द्वारा,
मुख्य क्रय-निदेशक,
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय,
खाद्य विभाग,
सेना क्रय संगठन,
नई दिल्ली-1

सेवा में

प्रिय महोदय,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मैं, रक्षा सेवाओं के लिए नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार.....के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए चल संविदा के आधार पर कीमत कोट करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ :—

| वर्णन | लेखा-ईकाई | अपेक्षित संख्या/ परिमाण | चल संविदा की अवधि |
|--|-----------|----------------------------|-------------------|
| स्वीकृति के लिए तार दिए जाने की तारीख से एक वर्ष | | | |

ऊपर बताई गई अपेक्षित संख्या/परिमाण अनुमान पर आधारित है और उक्त अवधि के दौरान संविदा की जाने वाली/किया जाने वाला ठीक-ठीक संख्या/परिमाण मुख्य क्रय-निदेशक, निविदा-स्वीकृति से विनिर्दिष्ट करेगा। इस संख्या/परिमाण को केवल 50 प्रतिशत तक घटा/बढ़ा सकेगा।

(क) इस संविदा को प्ररूप पू० तथा नि० म० नि० 68 पुनरीक्षित में उल्लिखित संविदा की साधारण शर्तें [खण्ड 14 (8) और 24 को छोड़कर] और प्ररूप पू० तथा नि० म० नि०—70 में उल्लिखित विशेष शर्तें लागू होंगी। उक्त दोनों प्ररूप केन्द्रीय क्रय संगठन (जो अबमंत्रालय के अधीन है) द्वारा की जाने वाली संविदाओं को शासित करने वाली

समय-समय पर यथासंशोधित संविदा की शर्तें नामक पुस्तिका* (1968 संस्करण, पू० तथा नि० म० नि०—25) में दिए गए हैं संविदा इस शर्त के भी अधीन होगी कि उसमें जहाँ कहीं भी पू० तथा नि० म० नि० के अधिकारियों के पदनाम आए हैं, वहाँ खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के खाद्य विभाग के सेवा क्रय-संगठन के अधिकारियों के पदनाम अर्थात्, मुख्य क्रय-निदेशक, उप मुख्य क्रय-निदेशक, सहायक मुख्य क्रय-निदेशक, क्रय-निदेशक, उप क्रय-निदेशक, सहायक क्रय-निदेशक और अनुभाग अधिकारी (क्रय) रख दिए जाएंगे। जहाँ ऊपर निर्दिष्ट संविदा की साधारण शर्तें परिशिष्ट में दिए गए निबन्धनों और शर्तों से भिन्न हैं, वहाँ परिशिष्ट में दिए गए निबन्धन और शर्तें लागू होंगी।

(ख) मुख्य क्रय-निदेशक के अन्तर्गत उप मुख्य क्रय-निदेशक, सहायक मुख्य क्रय-निदेशक, क्रय-निदेशक, उप क्रय-निदेशक, सहायक क्रय-निदेशक और अनुभाग अधिकारी (क्रय) हैं।

(ग) (i) निविदाकार, निविदा द्वारा आमंत्रित सम्पूर्ण परिमाण के लिए या उससे कम किसी परिमाण के लिए निविदा दे सकते हैं।

निविदाकार को चाहिए कि वह किसी एक स्टेन से प्रस्तावित सम्पूर्ण परिमाण के लिए एक से अधिक दरे कोट न करे अन्यथा मुख्य क्रय-निदेशक स्वविवेकानुसार ऐसी निविदाओं की उपेक्षा कर सकेगा। निविदाकार जारी की गई निविदा में उल्लिखित परिमाण से अधिक के विक्रय का प्रस्ताव नहीं करेगा। अन्यथा मुख्य क्रय-निदेशक उसकी निविदा की उपेक्षा कर सकेगा। इस निविदा में परिमाण/कीमते माप-तौल की मीटरी पद्धति में प्रकट की जानी चाहिए।

(ii) निविदाकार को चाहिए कि वह विक्रय के लिए वस्तुतः प्रस्तावित परिमाण निविदा में दिए गए स्तम्भ में दर्शा करे अन्यथा केता उसकी निविदा की उपेक्षा कर सकेगा।

(घ) यदि आप संलग्न परिशिष्ट में कथित अपेक्षाओं के अनुसार प्रदाय के लिए कोटेशन दे सकते हैं तो कृपया संलग्न विहित निविदा प्ररूप में इस कार्यालय को अपना कोटेशन दें। इस प्ररूप को पूर्णतः भरने और पेश करने के संबंध में अनुदेश नीचे दिए गए हैं। आपवादिक मामलों में और पर्याप्त कारणों के होने पर ही तार से भेजे गए कोटेशनों पर विचार किया जा सकेगा किन्तु यह तब जब कि विहित प्ररूप/प्ररूपों में उसकी पुष्टि डाक द्वारा कम से कम समय के अन्दर कर दी जाए।

2. **बिनिर्देशों और ड्राइंग की बिनिर्देशियाँ**—निविदा के संबंध में जारी किए गए बिनिर्देश और ड्राइंग, तथा साथ ही वे प्रकाशन जिनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और जिन पर "लोटा दिए जाएँ" लिखा है, निविदा के साथ लोटा दिए जाने चाहिए, अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। ये उस ठेकेदार को पुनः दिए जाएँगे जिसके साथ संविदा की जाएगी और संविदा पूरी हो जाने के पश्चात् उनकी वापसी की जिम्मेदारी उसी पर होगी।

3. **निविदा तैयार करना**—(क) प्ररूप अविकल रूप में लोटाया जाना चाहिए भले ही किसी मद के लिए कोटेशन दिया गया हो या नहीं। उसके पत्रे अलग नहीं किए जाने चाहिए किन्तु जब किन्हीं मदों के लिए निविदा न दी जा रही हो तो सम्बन्धित स्थान में "कोटेशन नहीं दिया जा रहा है" जैसे शब्द लिख दिए जाने चाहिए।

(ख) यदि अपेक्षित प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है तो उसमें अतिरिक्त पत्रे जोड़े जा सकते हैं। ऐसे प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्यांक और निविदा संख्यांक लिखा होना चाहिए तथा उस पर निविदाकार के पूरे हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ऐसे मामलों में अतिरिक्त पृष्ठों का हवाला निविदा प्ररूप में अवश्य दे दिया जाना चाहिए।

4. **निविदा पर हस्ताक्षर**—(क) निविदा प्ररूप पर एकमात्र स्वत्वधारी समुत्थान के मामले में एकमात्र स्वत्वधारी के, भागीदारी समुत्थान के मामले में सभी भागीदारों के, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के समुत्थान के मामले में कर्ता के और परिसीमित दायित्व वाले समुत्थान के मामले में प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत निदेशक/निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उस समुत्थान के मामले में, जिसका प्रबन्ध कोई अन्य ऐसा समुत्थान करता है जिसे "प्रबन्धित समुत्थान" की ओर से कार्य करने के लिए पूर्ण प्राधिकार है, निविदा प्ररूप पर "प्रबन्धित समुत्थान" के स्थान पर प्रबन्ध अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ख) यदि उपरोक्त (1) का पालन संभव नहीं है तो निविदाकार पर सम्यक्तः प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है। उस दशा में यह निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि वह (यदि उसकी निविदा स्वीकार कर ली जाती है) निविदा की स्वीकृति से दस दिन के अन्दर उपरोक्त (1) में वर्णित सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करे कि जिस व्यक्ति ने निविदा पर या उसके भागरूप किन्हीं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे उस समुत्थान को जिसकी ओर से निविदा प्रस्तुत की गई है, माध्यस्थ्यम् खण्ड सहित, संविदा सम्बन्धी सभी विषयों में आबद्ध करने का पूर्ण अधिकार है।

(ग) निविदा प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नियत समय के अन्दर उक्त घोषणा प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो केता, उसे उपलब्ध अन्य सिविल और दायित्वक उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा रद्द कर सकता है और हस्ताक्षरकर्ता को सभी खर्चों और नुकसानियों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है।

* इसकी प्रति प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली-110 054 से प्राप्त की जा सकती है।

(घ) जो रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार अपेक्षित घोषणा पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं वे उक्त घोषणा प्रस्तुत करने से मुक्त हैं परन्तु यह तब जब कि निविदा पर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में वर्णित "अटर्नी" ने हस्ताक्षर किए हों।

(ङ) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को निविदा आमंत्रण की अनुसूची में उस पृष्ठ पर नियत स्थान पर भी हस्ताक्षर करने चाहिए जिसमें वस्तु की दूर और परिमाणों की विनिर्दिष्टियाँ दी गई हैं।

5. निविदा देना—(क) मूल निविदा दोहरे लिफाफे में बन्द की जानी चाहिए। अन्दर वाला लिफाफा सीलबन्द होना चाहिए और उस पर निविदा संख्यांक और उसके खुलने की तारीख स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। बाहर वाला लिफाफा, मुख्य कय-निदेशक को सम्बोधित होना चाहिए किन्तु उस पर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे यह मालूम हो कि उसके अन्दर निविदा रखी है। किसी ऐसी निविदा पर, जिसमें उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया जाता है, विचार न करने का अधिकार आरक्षित है।

(ख) प्रत्येक निविदाकार को केवल एक निविदा प्रस्तुत करने का हक है। इसमें ही वह आनुकूलिक कोटेशन दे सकता है। यदि इस निविदा-आमंत्रण पर किसी वस्तु के प्रदाय के लिए कोई ठेकेदार एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सभी निविदाएं अस्वीकार की जा सकेंगी।

6. निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख—(क) यदि निविदा की अनुसूची में अल्पया विनिर्दिष्ट नहीं है तो निविदा इस कार्यालय में निविदा जुलने की तारीख को 3 बजे अपराह्न तक, अवश्य पहुंच जानी चाहिए। दस्ती रूप में भेजी गई निविदा नियत तारीख को 3 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय में रखी निविदा-पट्टी में अवश्य डाल दी जानी चाहिए। नियत तारीख को 3 बजे अपराह्न के पश्चात् प्राप्त निविदाओं और/या संशोधनों पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही ऐसी निविदाएं या निविदा के संशोधन नियत तारीख और समय से पूर्व डाक द्वारा भेज दिए गए हों।

(ख) निविदा, स्वीकृति के लिए अनुसूची/अनुसूचियों में नियत तारीख तक खुली रखी जानी चाहिए।

(ग) निविदाकारों के प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

7. कीमत—(क) कोट की गई कीमत अनुसूची में दी गई प्रति इकाई के हिसाब से शुद्ध होनी चाहिए, तथा उसमें सभी पैकिंग और परिवहन प्रभार सम्मिलित होंगे और वह स्पष्ट रूप से अंकों और शब्दों में, भारतीय मुद्रा में उल्लिखित की जानी चाहिए।

(ख) कोट की गई कीमत में विक्रय-कर सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ग) विक्रय-कर की दर का उल्लेख कोट की गई कीमत के साथ स्पष्ट रूप से किया जाए। ठेकेदारों को इसका भुगतान, विधिक रूप से देय दर पर (संविदा के अधीन किए गए प्रदायों के लिए संविदा के अधीन बेय कीमत के अतिरिक्त) किया जाएगा किन्तु वह भुगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूतलकी प्रभाव से मंजूर की गई किसी रिबेट या छूट के और संविदा की शर्तों के सुसंगत खण्डों के उपबंधों के अधीन होगा। यदि निविदाकार विक्रय-कर स्वयं देना चाहता है तो उसे स्पष्ट रूप से यह कथन कर देना चाहिए कि कोई विक्रय-कर नहीं लिया जाएगा और उसका भुगतान वह स्वयं करेगा। आवश्यकतानुसार प्ररूप 'घ' विक्रेता देगा।

8. परिवान की शर्तें—वह अवधि जिसके दौरान या वह तारीख जिस तक माल का परिवान अपेक्षित है, निविदा की अनुसूची में दी गई है।

9. अग्रिम धन—प्रत्येक निविदा के साथ, सहायक मुख्य कय-निदेशक (सेना कय संगठन) खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में पृथक् अग्रिम धन की वाबत पांच हजार रुपये की रकम का किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया मांगदेय ड्राफ्ट या मांग पर जमा की रसीद या खजाना रसीद भेजी जानी चाहिए। पूर्वोक्त निविदा या निविदाओं के संबंध में पहले भेजे गए अग्रिम धन के समायोजन के लिए अनुरोध पर या ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा, जिनके साथ अग्रिम धन नहीं भेजा जाएगा। निविदाकार निविदा प्रस्ताव को निविदा में विनिर्दिष्ट तारीख तक खुला रखेगा। यह मान लिया जाएगा कि निविदा-दस्तावेज निविदाकार को बच दिए गए हैं/दे दिए गए हैं और निविदाकार को उसकी ओर से इस शर्त पर निविदा प्रस्तुत करने दी जा रही है कि वह, अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेगा या उसकी शर्तों और निबन्धनों में ऐसे परिवर्तन नहीं करेगा जो मुख्य कय-निदेशक को स्वीकार न हों। यदि निविदाकार उक्त शर्त का पालन करने में असफल रहता है तो सरकार अग्रिम धन जप्त कर लेगी। यदि निविदाकार विहित तारीख तक प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है तो इस संविदा और विधिक अधीन सरकार के किन्हीं अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका संपूर्ण अग्रिम धन जप्त किया जा सकेगा। अग्रिम-धन तब असफल निविदाकारों को निविदाओं पर निर्णय होने के पश्चात् और सफल निविदाकार को, उसके द्वारा

प्रतिभूति जमा कर दिए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र लौटा दिया जाएगा, किन्तु यदि सफल निविदाकार ऐसा आवेदन उसका अग्रिम-धन प्रतिभूति निक्षेप का भागरूप मान लिया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वह विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण रकम पूरी के लिए शेष रही रकम नियत अवधि के अन्दर जमा कर दे। किसी भी दशा में, अग्रिम-धन की रकम पर कोई व्याज देय नहीं है।

10. संविदा की संचालि—इस निविदा-आमंत्रण के परिशिष्ट के खण्ड 17 में उल्लिखित मानक विच्छेद खण्ड और सं की साधारण शर्तों के अन्य सुसंगत खण्डों के उपबन्धों के अतिरिक्त, सरकार इस निविदा के परिणामस्वरूप की गई संविदा को, उ चालू अवधि के दौरान किसी भी समय, उस बाबत 6 दिन की सूचना देकर, रद्द करने का अधिकार आरक्षित करती है। निविदा दिए गए पते पर रजिस्ट्री रसीदी डाक से भेजी गई ऐसी सूचना, संविदा रद्द करने के लिए पर्याप्त समझी जाएगी।

11. आय कर समाशोधन प्रमाणपत्र पेश करना—(क) निविदाकारों को चाहिए कि वे अपनी निविदा के साथ विहित प्र (उपबन्ध 2) में आय कर समाशोधन प्रमाणपत्र और उपबन्ध 1 के अनुसार घोषणा पेश करें। निविदा के साथ भेजा जाने वाला आय समाशोधन प्रमाणपत्र पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा भरा जाना चाहिए और उस पर उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। प्रमाणपत्र संबंधित आयकर अधिकारी के भी प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। यदि प्रमाणपत्र उपर्युक्त रूप से पूर्ण नहीं होगा तो उसे समाधान नहीं माना जाएगा।

(ख) मुख्य क्रय-निदेशक उस निविदा को, जिसके साथ अपेक्षित आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र नहीं होगा, विशेष मामले रूप में स्वीकार कर सकता है, परन्तु यह तब जब ऐसा न करने के बारे में निविदाकार द्वारा बताए गए कारणों से उसका तनाघ हो जाए। यदि मुख्य क्रय-निदेशक उस निविदा को स्वीकार करने का विनिश्चय करता है, जिसके साथ आयकर समाशोधन प्रमा पत्र नहीं है तो निविदाकार से नियत अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र पेश करने को कहा जाएगा। यदि उसने ऐसा न किया तो संवि ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, स्वतः ही रद्द हुई समझी जाएगी। संविदा उस दशा में भी ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर रद्द क जा सकेगी जब ठेकेदार द्वारा पेश किया गया आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र सभी वृष्टियों से पूर्ण नहीं होगा या किसी भी प्रकार से व द्रष्टिपूर्ण होगा। इस संबंध में मुख्य क्रय-निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ग) भागीदारी के आधार पर गठित फर्मों अपने संबंधों में और साथ ही अपने सभी भागीदारों के संबंध में आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र पेशेंगी।

(घ) जो फर्म आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है उससे नया प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा तभी की जाएगी जब कि पिछले प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय बीत गया हो।

(ङ) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के स्वामित्व वाले किसी समुत्थान के मामले में, कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के संबंध में अलग-अलग आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यह तब जब कुटुम्ब का कोई सदस्य स्वतंत्र रूप से कोई अलग कारबार न कर रहा हो। कुटुम्ब के कर्ता से अपेक्षित है कि वह—

(i) या तो प्रथम अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस आशय की घोषणा भेजे कि कुटुम्ब का कोई सदस्य कोई स्वतन्त्र कारबार नहीं कर रहा है; या

(ii) कुटुम्ब के ऐसे सदस्य के नाम बताए जो पृथक्: स्वतंत्र कारबार कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक का आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र भेजे।

मुख्य क्रय-निदेशक निम्नतम निविदा या किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह पूर्ण निविदा या उसके किसी भाग अथवा प्रस्तावित परिमाण के किसी भाग को स्वीकार करने का अपना अधिकार आरक्षित रखता है। उस दशा में भी निविदाकार को कांटे की गई दर पर ही प्रदाय करना होगा।

12. मुख्य क्रय-निदेशक निविदा की स्वीकृति की सूचना तार या एक्सप्रेस पत्र या सेविगग्राम से या निविदा की यवारीति स्वीकृति भेजे कर देगा। यदि स्वीकृति की सूचना तार या एक्सप्रेस पत्र या सेविगग्राम से भेजी जाती है तो निविदा की यवारीति स्वीकृति यथा- सम्भव शीघ्र, ठेकेदार को भेज दी जाएगी किन्तु पहली सूचना पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

13. निविदाकार को निविदा-प्ररूप ताफ-ताफ और सही रूप में भरना चाहिए। किसी भी प्रकार के परिवर्तन, उद्धरण या उपरिलेखन से निविदा अविधिमाम्य हो जाएगी किन्तु यदि ऐसा परिवर्तन, उद्धरण या उपरिलेखन सफाई से किया जाता है और उसे निविदाकार के पूरे हस्ताक्षरों द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित कर दिया जाता है तो वह अविधिमाम्य नहीं होगी। इसी प्रकार निविदा में पहले से दी गई शर्तों से भिन्न अन्य शर्तें जोड़ने से भी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

14. निविदा के साथ संलग्न दस्तावेज—आय-कर समायोगन प्रमाणपत्र, भावीशरी विलेख, मुस्तारनामे जैसे दस्तावेज निविदाकारों को मूल रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। सफल निविदाकारों को अर्थात् जिन निविदाकारों से संविदा की जाती है उनकी दस्तावेजें तभी लौटाई जाएंगी जब संविदा का पूर्ण रूप से निष्पादन हो जाता है और दोनों पक्षकारों का एक दूसरे के विरुद्ध कोई दावा नहीं रहता है। असफल निविदाकारों को उनकी मूल दस्तावेजें लौटाई जा सकेंगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसी मूल दस्तावेजों की अनुप्रमाणित दो प्रतियां निविदा के साथ ही जाएं। यह ध्यान रखें कि दस्तावेजों की जो दो प्रतियां रख ली जाएंगी वे बाद में दी जाने वाली निविदाओं के संबंध में विधिमाम्य नहीं मानी जाएंगी।

भवदीय,

(अनुभाग अधिकारी)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से।

प्ररूप सा० वि० नि० 34

[नियम 274 की मद (VII) देखिए]

भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित)

विश्वस्तता प्रत्याभूति पालिसी

पालिसी सं०

भारतीय जीवन बीमा निगम, (जिसे इसमें आगे 'निगम' कहा गया है) प्रत्याभूति की रकम से अधिक ऐसी सभी घन की प्रत्यक्ष हानि की प्रतिपूर्ति करने का करार करता है और उसके लिए स्वयं को आबद्ध करता है, जो नियोजक को नियोजित व्यक्ति/नियोजित व्यक्तियों में से किसी द्वारा (क) इस बीमा के चालू रहने के दौरान, और (ख) ऐसे नियोजित व्यक्ति के नियोजन के अविच्छिन्न रूप से जारी रहने के दौरान; और (ग) अपनी उपजीविका और अपने कर्तव्यों के संबंध में किए गए बेईमानी के किसी कार्य या कार्यों, व्यतिक्रम या उपेक्षा से होगी और जिसका पता इस बीमा के चालू रहने के दौरान या उसके पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर या ऐसे नियोजन के समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् बारह मास के भीतर, जो भी पहले हो, चले। इस करार के लिए प्रतिफल वह प्रथम प्रीमियम है जो प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है। यह करार इसमें दी गई या पृष्ठांकित शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए किया गया है इसमें से ऐसी शर्तों को जिनका संबंध किसी ऐसी बात से है कि जो नियोजक करेगा या जिसका अनुसरण नियोजक करेगा इस निगम के दायित्व की पुरोमाव्य शर्तें समझा जाएंगी।

नियोजक द्वारा या उसकी ओर से किए गए इस बीमा प्रस्ताव को उससे संबंधित पताचार के साथ इसमें सम्मिलित किया जाएगा और वह इस संविदा और उसके नवीकरण का आधार होगा।

प्रथम अनुसूची

| | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|
| नियोजक | नाम कारबार पता | भारत के राष्ट्रपति |
| नियोजित व्यक्ति : | की माफत | |
| प्रत्याभूति की रकम | रु० | |
| उपजीविका और कर्तव्य | | |
| प्रथम प्रीमियम | रु० | |
| नवीकरण की तारीख | प्रत्येक वर्ष में | के दिन |

इस बीमा के चालू रहने की अवधि : नियोजित व्यक्तियों के नाम के सामने लिखी तारीख से लेकर उसकी अगली नवीकरण तारीख और उसके पश्चात् उस वर्ष तक जिसकी बाबत इसकी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक प्रीमियम स्वीकार करने के लिए निगम करार करेगा तथा जो नियोजक तथा जो नियोजक या नियोजित व्यक्ति देगा।

द्वितीय अनुसूची

| जोखिम की अवधि | नाम | उपजीविका और कर्तव्य | प्रत्याभूति की रकम | वार्षिक प्रीमियम | वास्तविक प्रीमियम |
|---------------|-----|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | | | रु० पैसे | रु० पैसे | रु० पैसे |

इसके साक्ष्य स्वरूप इस अन्धपत्र पर बंबई में तारीख को हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए खण्ड प्रबन्धक

.....द्वारा तैयार किया गया।

.....द्वारा जांच की गई।

ध्यान दें—आपकी संरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी पालिसी को और उसकी शर्तों को पढ़कर यह सुनिश्चित कर लें कि यह पालिसी आपके आशय के अनुसार तैयार की गई है।

शर्तें

इस पालिसी में प्रयुक्त पदों के वही अर्थ हैं जो इससे संलग्न प्रथम अनुसूची में हैं।

1. यदि नियोजक के कारखाने की प्रकृति अथवा नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्यों या सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है या किसी नियोजित व्यक्ति के पारिश्रमिक में नियम की मंजूरी के बिना कमी की जाती है अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा यथार्थ रूप में रखे जाएं, सम्यक् सावधानी नहीं बरती जाती है और जांच नहीं की जाती है तो नियम इसके अधीन कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

2. यदि नियोजक या नियोजक के किसी प्रतिनिधि को, जिसे किसी नियोजित व्यक्ति के ऊपर अधीक्षण के कर्तव्य का भार सौंपा गया है, यह जानकारी हो जाती है कि किसी नियोजित व्यक्ति ने बेईमानी, व्यतिक्रम या उपेक्षा का कोई कार्य किया है या यह सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है कि उसकी ओर से ऐसा कार्य हुआ है या कोई अनुचित आचरण किया गया है, तो उसे यथाशीघ्र उसकी लिखित सूचना नियम के कार्यालय को देनी होगी। नियोजक या उसके प्रतिनिधि को ऐसी जानकारी हो जाने के पश्चात् किए गए किसी कार्य के कारण कोई रकम इस पालिसी के अधीन संदेय नहीं होगी। ऐसी जानकारी होने के पश्चात् तीन मास के भीतर नियोजक अपने दावे का पूरा व्योरा नियम को देगा और ऐसे दावे को सही होने का सबूत देगा। नियोजक को सब सेबा बहियां या उन पर किसी लेखाकार की रिपोर्टें नियम के निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी और नियोजक ऐसी सभी जानकारी और सहायता देगा जिससे कि नियम ऐसे किसी धन के लिए जिसका नियम ने संदाय किया हो या जिसका वह इस पालिसी के अधीन संदाय करने के लिए दायी हो गया हो, वाद चला सके और नियोजित व्यक्ति या उसकी सम्पदा से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सके। परन्तु नियम को यह हक नहीं होगा कि उसे ऐसी कोई जानकारी या अभिलेख प्रकट किया जाए जिसके संबंध में नियोजक को न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 के अधीन विशेषाधिकार का दावा करने का हक है।

3. यदि किसी नियोजित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा किया जाता है तो उसका वह धन जो नियोजक के हाथ में है और ऐसा धन जो यदि उस नियोजित व्यक्ति ने कपट या बेईमानी का कार्य न किया होता तो उसे नियोजित व्यक्ति को नियोजक द्वारा देय होता, पालिसी के अधीन संदेय रकम में से काट लिया जाएगा। परन्तु यह तब होगा जब नियोजक को ऐसी कटौती करने का विधि के अधीन हक हो। परन्तु उन मामलों में जिनमें नियोजक की हानि पालिसी के अधीन संदेय अधिकतम रकम से अधिक है, उक्त धन का उपयोग प्रथमतः ऐसे आधिक्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा और यदि कोई धन शेष रहता है तो उसकी कटौती इसमें उपबंधित रीति से की जाएगी। किसी हानि मद्धे नियोजक या नियम द्वारा (नियम द्वारा बीमा और पुनः बीमा तथा दोहरी प्रतिभूति को छोड़कर) वसूल की गई कोई रकम उनके द्वारा आपस में उसी अनुपात में बांट ली जाएगी जो अनुपात उनमें से प्रत्येक के द्वारा उठाई गई हानि की रकम का हानि की कुल रकम के साथ है।

4. इसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह करार किया जाता है कि नियम नियोजक को यह प्रत्याभूति देता है कि नियोजित व्यक्ति नियोजक को ऐसी सभी धनराशियों या मूल्यवान् वस्तुओं या सम्पत्ति का ईमानदारी से और यथार्थ लेखा देगा जो उसे प्राप्त होगी या जो उसे नियोजक के लेखों उसकी निजी या वैयक्तिक हैसियत में अथवा अन्य सदस्यों के साथ संयुक्ततः काम करने वाले समूह के सदस्य के रूप में सौंपी जाएगी और यह कि नियम नियोजित व्यक्ति के, पूर्वोक्त हैसियत और नियोजन में, व्यतिक्रम या बेईमानी या उपेक्षा के किसी कार्य या कार्यों से नियोजक को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करेगा। प्रतिपूर्ति की रकम प्रत्याभूति की रकम से अधिक नहीं होगी, और यह कि यदि नियोजित व्यक्ति का व्यक्तिगत दायित्व सिद्ध नहीं होता है तो प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम वह होगी जो ऐसे समूह में सम्मिलित व्यक्तियों की कुल संख्या से हिसाब लगा कर अर्थात् कुल हानि की विशिष्ट कार्य में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या से विभाजित करके नियोजित व्यक्ति के हिस्से में आती हो।

5. निगम यह भी करार करता है कि इस प्रत्याभूति के प्रवृत्त रहने को अवधि के दौरान, द्वितीय अनुसूची में अन्तर्निष्ठ विशिष्टियाँ नियोजक की सहमति से और निगम को पूर्व सूचना देकर तथा यदि नियोजित व्यक्तियों में प्रोत्तति के कारण किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई अतिरिक्त प्रीमियम निगम को सदेव हो जाता है तो वह देकर परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित की जाएंगी और अनुसूची में उल्लिखित नियोजक द्वारा ऐसी अवधि में नियोजित ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, पूर्वोक्त सहमति से और निगम को पूर्व सूचना देकर और उसे उस समय लागू दर से अतिरिक्त आनुपातिक प्रीमियम देकर उक्त अनुसूची में जोड़े और सम्मिलित किए जाएंगे और उन तारीखों से जब वे नाम उक्त अनुसूची में सम्मिलित किए जाएंगे और इस पालिसी में सर्वत्र प्रयुक्त 'नियोजित व्यक्ति' पद का अर्थ यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्ति हैं चाहे अनुसूची में उनका नाम पहले सम्मिलित किया गया हो या पूर्वोक्त रूप में बाद में जोड़ा गया हो।

6. यदि इस विलेख या उसके अर्थान्वयन के संबंध में इसके पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच या इसके अधीन किन्हीं व्यक्तियों के ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों या बाध्यताओं की बाबत या किसी अन्य ऐसे विषय के बारे में जो इस विलेख की विषय-वस्तु से या उसके संबंध में उत्पन्न होता है, कोई विवाद या मतभेद उठता है तो वह एकल मध्यस्थ को निर्देशित किया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा। इस प्रकार नामित मध्यस्थ सरकारी अधिकारी होगा और उसे भारतीय माध्यस्थ्य अधिनियम के अधीन मध्यस्थों को प्रदत्त सभी शक्तियाँ होंगी। निर्देश और अधिनिर्णय का खर्च मध्यस्थ के विवेकानुसार होगा। ऐसे मतभेद की बाबत निगम का दायित्व या निगम के बिबद्ध कार्यवाही करने का अधिकार, ऐसे निर्देश में अधिनिर्णय दे दिए जाने के पश्चात् ही उत्पन्न होगा। यदि निगम इसके अधीन किसी दावे की बाबत अपना दायित्व स्वीकार नहीं करता है और ऐसा दावा उसके इस प्रकार अस्वीकार किए जाने की तारीख से बारह कलेंडर मास के भीतर मध्यस्थ को इसके उपबंधों के अधीन निर्देशित नहीं किया जाता है तो सब प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उस दावे का परित्याग कर दिया गया है और तत्पश्चात् इसके अधीन उसकी वसूली नहीं की जा सकेगी।

7. उपर्युक्त खंड 6 के प्रयोजन के लिए 'भारत सरकार' पद से अभिप्रेत है उस प्रशासनिक मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव/विभाग का प्रधान जिसके अधीन वह नियोजित व्यक्ति काम कर रहा है।

प्ररूप सा० वि० नि० 26

[नियम 207 के तहत भारत सरकार के विनिर्देश (1) का खण्ड (ख) देखिए]

बीमा कंपनी को, मोटरगाड़ियों आदि की बीमा पालिसियों में सरकार के हित की सूचना देने वाला पत्र

प्रेषक—

सेवा में,

महोदय,

आपको सूचना दी जाती है कि भारत के राष्ट्रपति आपकी कंपनी से प्राप्त मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल बीमा पालिसी सं० में हितबद्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उस पालिसी में निम्नलिखित आशय का खण्ड जोड़ने की कृपा करें।

बीमा पालिसी में जोड़ जाने वाले खण्ड का प्ररूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री ने (मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल का स्वामी जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे राष्ट्रपति कहा गया है) उस अधिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दी है, जो उस मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि राष्ट्रपति ऐसे घन में भी हितबद्ध हैं जो, यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) को उक्त मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिभूति, भरमत्त, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होगा। ऐसा घन राष्ट्रपति को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह इस मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल के बंधकदार हैं। राष्ट्रपति की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कंपनी के, इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

भवदीय,

स्थान.....

तारीख.....

अधेक्षित—कृपया इस पत्र के प्राप्त होने की अभिसंबोधित करें। यह भी अनुरोध है कि जब कभी इस पालिसी के अधीन किसी दावे का संदाय किया जाए तब और यदि नवीकरण के लिए कालिक रूप से प्रीमियम का संदाय नहीं किया जाता है तो उसकी भी सूचना मुझे देने की कृपा करें।

स्थान.....

तारीख.....

(संजरी देने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और उसका पदनाम)

प्ररूप सा० वि० नि० 33

(नियम 78 देखिए)

कार्यभार के अन्तरण का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदेश सं०* तारीख के अनुसार
में हमने आज तारीख को पूर्वानु/अपराह्न में पद का कार्यभार
यथास्थिति, सौंप दिया है और ग्रहण कर लिया है।

| | |
|--|---|
| (केवल लेखापरीक्षा कार्यालय में उपयोग के लिए) | कार्यभार छोड़ने वाला अधिकारी |
| लेखापरीक्षा रजिस्टर में पृष्ठ पर नोट कर लिया गया। | हस्ताक्षर..... |
| छुट्टी खाते में पृष्ठ पर नोट कर लिया गया। | (स्पष्ट अक्षरों में नाम)..... पदनाम..... |
| छुट्टी-वेतन प्रमाण-पत्र/सेवा/विवरण तारीख..... को जारी किया गया। | |

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| लेखा-परीक्षक, अधीक्षक, | सहायक महालेखाकार | स्थानांतरित होकर/छुट्टी पर/सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं। |
| | सहायक लेखा अधिकारी | |

| | | |
|---|--|------------|
| लेखा परीक्षा रजिस्टर में पृष्ठ पर नोट कर लिया गया। | कार्यभार ग्रहण करने वाला अधिकारी हस्ताक्षर..... | |
| छुट्टी खाते में पृष्ठ पर नोट कर लिया गया। | (स्पष्ट अक्षरों में नाम)..... | |
| वेतन स्लिप तारीख को जारी की गई। | पदनाम..... | |
| लेखा-परीक्षक, अधीक्षक, | सहायक महालेखाकार | स्थान..... |
| | सहायक लेखा अधिकारी | तारीख..... |

उक्त अतिशेषों का ज्ञापन जिसकी जिम्मेदारी कार्यभार प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई है।
नकद..... रु० स्थायी अग्रिम..... रु०

*जहां कार्यभार का अन्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा यथास्थिति आदेश
जारी किए जाने से पूर्व किया जाता है वहां इस आशय का उपयुक्त
संकेत कर दिया जाना चाहिए।
..... को भेजा गया।

कार्यभार छोड़ने वाला
अधिकारी
कार्यभार ग्रहण करने वाला
अधिकारी

प्ररूप सा० वि० नि० 27क

[नियम 22i (घ) के नीचे दिया गया भारत सरकार का विनिश्चय (1) देखिए। यह विनिश्चय संगोष्ठी के प्रथम सूची के शुद्धि पत्र सं० 201 से जोड़ा गया है।]

टेबल पंखा खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप

1. आवेदक का नाम
2. पदनाम और उस कार्यालय का नाम जिसमें कार्य कर रहा है
3. घर का पता
4. अधिवर्षिता या सेवा-निवृत्ति की तारीख
5. अग्रिम के रूप में कितनी रकम चाहते हैं
6. अग्रिम की रकम की कितनी किस्तों में वापस करना चाहते हैं
7. क्या आपने ऐसे ही प्रयोजन के लिए पहले भी अग्रिम लिया था और यदि हाँ तो
 - (i) अग्रिम प्राप्त करने की तारीख
 - (ii) अग्रिम की रकम और/या उस पर बकाया ब्याज
8. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास अपने घर में पहले से कोई पंखा नहीं है।
मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसमें टेबल पंखे के उपयोग के लिए बिजली और प्लग प्वाइंट की व्यवस्था है.....

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

शुद्धिपत्र

विधिक दस्तावेजों के मानक प्रारूप—जिल्द I—28 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित द्विभाषीय संस्करण का शुद्धि-पत्र
Corrigenda of the diglot edition of the Standard Forms of Legal Documents—Vol. I
published as on the 28th September, 1983.

| पृष्ठ/Page | प्रविष्टि/Entry | रक्ति/Line | के स्थान पर/For | पढ़ें/Read |
|------------|------------------------|---------------|--|--|
| — | Contents | 1 | (Railway) | (N. F. Railway) |
| 2 | प्रारूप के तीव्र शीर्ष | 1 | जाने वाले | जाने वाले |
| 4 | प्रारूप के तीव्र शीर्ष | 2 | नियम के शीर्ष | नियम के शीर्ष |
| 8 | 1 (f) | 2 | insolvent | insolvent |
| 8 | 2 (iii) | 6 | whatsoever | whatsoever |
| 11 | 13 | 6 | और अन्य | और अन्य |
| 14 | 2 | 2 | स्वाभाविक | स्वाभाविक |
| 17 | पैरा 5 | 2 | (जिसने) | (जिसे) |
| 17 | पैरा 6 | 2 | लिखित | लिखित |
| 17 | 4 | 5 | रखेगा जो | रखेगा जो |
| 18 | 10 | 2 | licensee | licensee |
| 20 | पैरा 2 | 10 | उक्त का कार्य | उक्त कार्य का |
| 21 | शीर्ष | .. | अनुसूची | अनुसूची |
| 21 | .. | अंतिम से पहले | डेकेदार/डेकेदारों के हस्ताक्षर | डेकेदार/डेकेदारों के हस्ताक्षर |
| 24 | पैरा 2 | 4 | मास भीतर, | मास के भीतर, |
| 24 | ब | 1 | सरकार देगी। | सरकार देगी। |
| 24 | अंतिम वाद-टिप्पण | 1 | अनुसूची | अनुसूची |
| 25 | 3 | 9 | omission | omission |
| 25 | 5 | 12 | की रकम..... | की रकम का..... |
| 26 | 5 | 5 | गबन, खदान, गबन, | खदान, गबन, |
| 26 | 6 | 6 | पश्चात्..... | पश्चात्..... |
| 28 | 1 | 2 | जाय | जाये |
| 29 | 8 | 1 | होने | होने |
| 30 | पैरा 3 | 1 | (पक्षों) | (पक्षों) |
| 32 | पैरा 1 | 3 | उत्तरवर्ती | उत्तरवर्ती |
| 34 | 2 | 1 | Borrower | Borrower |
| 34 | 2 | 2 | विपक्ष | विपक्ष |
| 34 | 2 | 5 | मास के | मास से |
| 36 | Para 4 | 4 | Finance | Financial |
| 36 | अंतिम पैरा | 2 | शुरू | शुरू |
| 37 | अनुसूची का पैरा | 1 | लए | लिए |
| 37 | .. | .. | (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर) और पदनाम | (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम) |
| 39 | 1 | 5 | जिसके | जिसका |

| पृष्ठ/Page | प्रविष्टि/Entry | पंक्ति/Line | के लिये पर/For | पढ़ें/Read |
|------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| 41 | 10 | प्रथम पंक्ति | अन्तरण | अन्तरण |
| 41 | 12 | 4 | सब ऐसे | सब ऐसे |
| 41 | 17 | 3 | समूचित संविदाएं, | समूचित प्रसविदाएं, |
| 44 | Para 3 | 8 | Block No..... | in Block No..... |
| 44 | 3 | 18 | day of | day of |
| 44 | 1 | 1 | The | The |
| 44 | 1 | 4 | without | without |
| 44 | 2 | 1 | Lesser | Lesser |
| 44 | 1 | 4 | समाधीन है। | समीचीन है। |
| 45 | 1(3) | 2 | पंजाब रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 | पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 |
| 46 | 6 | 6 | पंजाब रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 | पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 |
| 46 | 6 | 7 | अधिकारी | अधिकारी |
| 52 | 4(ग) | 2 | पसा | पेसा |
| 52 | 4(ग) | 2 | कता | केता |
| 57 | 1 | 1 | परिवर्त | परिवर्तन |
| 57 | 3 | 7 | बांड | बांड |
| 60 | .. | 11 | किया गया। | किया गया। |